लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र]
Eleventh Session

[खण्ड 44 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 28, गुरुवार, 3 सितम्बर, 1970/12 भाद्र, 1892 (शक)

No. 28, Thursday, September 3, 1970/Bhad a 12, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	1-3
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege ...	3
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	6
राज्य सभा से सन्देश	Message from Raja-Sabha —	8
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill ...	8
बेरोजगारी तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की दशा के बारे में याचिका	Petition re. Unemployment and condition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	8
मनीपर में त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Statehood for Manipur and and Tripura ... —	9
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	9
हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित विधेयक के बारे में वक्तव्य	Statement re. Bill in regard to Himachal Pradesh ...	9
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	9
पश्चिमी बंगाल के शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में दी गई जानकारी को स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य	Statement clarifying information given re. West Bengal Teachers' Salaries	9
डा. वी. के आर. वी. राव	Dr. V. K. R. V. Rao	9

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया की लन्दन स्थित शाखा के बारे में दी गई जानकारी के स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य	Statement clarifying information given re. London Branch of Central Bank of India ...	10
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidyacharan Shukla ..	7
दण्ड विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक	Criminal Law (Second Amendment) Bill ...	10
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव—वापिस लिया गया	Motion to introduce-withdrawn	19
संविधान (24वां) संशोधन विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध मे	Re. Voting on Constitution (Twenty-fourth) Amendment Bill	21
रूसी विश्वकोष में भारतीय क्षेत्र को चीन का हिस्सा दिखाये जाने के बारे में प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत	Motion re. Indian Territory being shown as part of China in Russian Enclyclopaedia Adopted, as amended.	23
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	12
श्री सन्त बक्स सिंह	Shri Sant Bux Singh ...	26
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	28
श्री तुलसी दास दासप्पा	Shri Tulshidas Dasappa ...	29
श्री रा. की. अमीन	Shri R. K. Amin	30
श्री रा. कृ. सिन्हा	Shri R. K. Sinha ...	32
श्री एस. कंण्डप्पन	Shri S. Kandappan	31
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	34
श्री उमा नाथ	Shri Umanath	36
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	37
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav ... —	37
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ...	37

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	38
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Berua	48
श्री जी. भा. कृपलानी	Shri J. B. Kripalani	35
डा० कर्णीसिंह	Dr. Karni Singh ...	40
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga	40
श्री रा. ढ़ो. भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	41
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	42
डा. सुशील नैयर	Dr. Sushila Nayar	42
श्री बि. प्र. मंडल	Shri B. P. Mandal	42
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	42
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	43
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति छठा प्रतिवेदन	Committee on Subordinate Legislation Sixth Report ...	51
सदस्यों की रिहाई के बारे में घोषणा	Announcement re. release of Members ...	51
केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक	Central Sales Tax (Amendment) Bill ...	51
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committe ...	51
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	10
सत्र का बढ़ाया जाना	Extension of Session	53

लोक–सभा
LOK--SABHA

गुरुवार, 3 सितम्बर, 1970/12 भाद्र, 1892 (शक)
Thursday, September 3, 1970/Bhadra 12, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

सभा के कार्य के बारे में
RE. BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे गये पत्र;

श्री रामचरण (खुर्जा) : श्रीमान्, व्यवस्था का प्रश्न;

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : हम विधेयक की पुरस्थापना का ही विरोध करना चाहते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir I want to say something regarding the procedure. You will remember that my motion regarding violent activities going on in the country with the help of outside money and arms was appearing in the list of Business for the last two weeks. Even the Minister of Parliamentary affairs has kindly agreed to give time for it. But in today's list of business I do not find it. I feel that either your office is in league with the Government or this Government is helping those who are indulging in these violent activities. Now I want to know from you as to when you have admitted it and the Government has also agreed to give time for it, why it has not been included in the list of business.

Dr. Ram Subhag Singh (Buxar) : I fully support the views expressed by Shri Prakash Vir Shastri. His motion was appearing in the list of Business. May I also know why it does not appear in today's List of business ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : This Government is not in a mood to discuss the subversive activities of the Naxalities. You had admitted the motion of Shastriji Business Advisery committee had also fixed time for it. I would like to know why it does not appear in today's order paper. I do not know what difficulty is there.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार के संकल्पों पर समय रहते चर्चा नहीं की गई तो उनका महत्व समाप्त हो जाता है। यह बड़े खेद की बात है कि ऐसे संकल्प पर जिस पर अंशतः चर्चा हो चूकी है प्रत्येक सत्र में चर्चा स्थगित कर दी जाती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कृष्णनगर में पुलिस की गुण्डागर्दी बढ़ती जा रही है और वह जनता पर मनमाना अत्याचार कर रही है। अगर गृह मन्त्री पुलिस के अत्याचार को छिपाना नहीं चाहते तो क्या आप उन्हें इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए कहेंगे ? केवल अपने दल के हितों की सुरक्षा के लिए ही प्रधान मन्त्री पुलिस से इस प्रकार के अत्याचार करा रही है। अगर वह वहां पर मध्यावधि चुनाव ही कराना चाहती हैं तो करा लें। हम उन्हें बता देंगे कि जनता वहां क्या सोचती है।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, he is trying to divert the attention. First of all we would discuss this pending resolution.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : अब तक यह विषय कार्य सूची में था परन्तु अब उसे अचानक क्यों हटा दिया गया है ? हमने इस पर तीन बार चर्चा करनी चाही परन्तु सभा में वह चर्चा पूर्ण नहीं हो सकी। यह एक महत्वपूर्ण बात है और सरकार इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ रही है। आज देश के किसी भी कौने में किसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री शिवनारायण (बस्ती) : कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य होने के नाते (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : मुझे मालूम नहीं कि आपने इस सम्बन्ध में कोई ध्यान दिया है अथवा नही, कि जब भी श्री शिवनारायण खड़े होते हैं तभी कुछ सदस्य उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। आपको ऐसे सदस्यों पर कार्यवाही करनी चाहिये। यदि एक आध बार किसी मजाक के लिए ऐसा किया जाये तो अच्छा लगता है परन्तु हर बार ऐसा करना और व्यवस्था भंग करना कहां तक उचित है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य होने के नाते, मैंने श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अध्यक्ष महोदय, उस समय आप भी मेरे साथ सहमत थे परन्तु यहां हालत यह है कि संसदीय कार्य मन्त्री अपनी मर्जी के अनुसार ही उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। अगर यही व्यवस्था चलनी है तो कृपया मुझे समिति की सदस्यता से त्याग पत्र देने की अनुमति दे दीजिये। यदि कार्य मंत्रणा समिति में लिये गये निर्णयों की इसी प्रकार अवहेलना होती है तो उसका सदस्य रहने का क्या लाभ है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अगर आप आज की कार्य सूची देखें तो उसके अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए कोई समय निर्धारित

नहीं किया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि नक्सलवादियों द्वारा सम्पूर्ण देश में जो हिंसात्मक गतिविधियां की जा रही है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, परन्तु सत्य तो यह है कि सभा का 90 प्रतिशत समय तो पहले ही नक्सलवादियों और पश्चिमी बंगाल की स्थिति पर चर्चा के लिये लगाया जा चुका है। अनुसूचित जातियों और जन जातियों की समस्याओं पर सदस्यों द्वारा प्रकाश डाला जा चुका है। मेरा सुझाव है कि अब मन्त्री महोदय उनका उत्तर दे दें।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Ram Charan (Khurja) : Sir I want to move a privilege motion under rule 222. There is a news item in 'Nav Bharat Times' that Adiwasi Members of Parliament have been bribed. It is a serious allegation and I wish that it should be entrusted to privilege committee. Shri Bhupesh Gupta in Rajya Sabha made this allegation. This is highly objectionable.

Mr. Speaker: I would like to tell Shri Prakash Vir Shastri that the sitting for today has been fixed for a specific purpose by the Business Advisory Committee. I want to assure him that there is no malafide on the part of my office. The Business Advisory Committee has made it clear that there will not be any motion, question hour or calling attention motion on this extra day.

Secondly the issue raised by Shri Ram Charan is definitely very serious and I will certainly refer this to the Chairman of the upper House.

Shri Atal Behari Vajpayee : This is correct that this has been said in the upper House. But may I know that whether this house will sit silent in this regard. Kindly tell us what is the remedy.

श्री स० मो० बनर्जी : * *

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में सभापति सम्मेलनों में कई बार चर्चा हो चुकी है। वहां पर कई निर्णय लिये जाते है। इस सम्बन्ध में मैं राज्य सभा के सभापति को ही लिख सकता हूं।

सभा के कार्य के बारे में
RE. BUSINESS OF THE HOUSE

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : जब मैंने आज की कार्य सूची देखी तो मुझे आशा थी कि उसमें अन्तरिम सहायता के बारे में प्रधान मन्त्री की घोषणा भी होगी। भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियाँ समाप्त करने पर जो धन उपलब्ध हुआ है, मेरा सुझाव है कि उसे केन्द्रीय सरकार

* * Not recorded.
कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। मैं एक उचित बात कह रहा हूं। यदि ऐसा न किया गया और सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और उससे राष्ट्रीय आय में हानि हुई तो प्रधानमंत्री को इसके महत्व का पता लगेगा। आज इस सत्र के अन्तिम दिन तो यह घोषणा कर ही देनी चाहिये कि सरकारी कर्मचारियों को 70 रुपये प्रतिमास अन्तरिम सहायता दी जा रही है। (व्यवधान) * *

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

Shri Yajna Dutt Sharma (Amritsar) : Mr. Speaker. Shri Ramavtar Shastri is always in the habit of Pin pricking. If it is once or twice, it is understable but he is always interupting.

Shri Ramavatar Shastri : I want to explain.

Mr. Speaker : Kindly take your seat. Shri Sondi.

श्री म० ला० सोंधी : मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। ये मुझे बोलने नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ भी कहना हो मुझे कहिए। उन्हें चुप कराना मेरा काम है, आपका नहीं। यदि आप हर बात का निर्णय बल प्रदर्शन से ही करना चाहते है तो फिर भला संसद की क्या आवश्यकता है ? यदि आप संसद में बैठना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे के तर्क को सहन करना चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri : I have been informed that the persons engaged in Naxalites activities with the foreign money and in collaboration with the Minister of Parliamentary affairs.

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह कार्य मंत्रा तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : प्रतिदिन निराधार आरोप लगाये जाते है। इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिये।

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : सर्व प्रथम मैं इस बात का कड़ा विरोध करता हूं कि अब तक जितने भी आक्षेप लगाये गये है वह सब निराधार है, उनमें जरा भी सचाई नही है। मैं आपकी स्थिति स्पष्ट करता हूं। कार्य मंत्रणा समिति ने दो तीन बातों के बारे में निर्णय किया था। इनमें से एक यह थी कि 2 तारीख को श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव पर विचार किया जाये। इसके साथ ही यह निर्णय भी किया गया था कि 3 तारीख को रूस के मानचित्रों, पश्चिमी बंगाल को मछली की सप्लाई और रुई के व्यापार आदि पर विचार किया जाये। हमने श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव के लिए कल का दिन नियत किया था और यदि वह कल नहीं लिया जा सका तो मेरा इससे क्या दोष है। मैं कार्य मंत्रणा समिति के निर्देश का उल्लंघन नहीं करना चाहता। कल ही सदस्यों से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

---

* * Not recorded.

कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं उनकी बात को चुनौती देना चाहता हूं। श्री प्रकाशवीर शास्त्री का प्रस्ताव पिछले पूरे सप्ताह कार्य सूची में था। आज उसे जानबूझ कर अचानक निकाल दिया गया है। यह बहुत संदेहास्पद है। सरकार इस पर सभा में चर्चा ही नहीं करना चाहती है।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : मैं कृष्णनगर की एक घटना को स्पष्ट करना चाहती हूं। एक डाके की घटना की जांच करके, एक पुलिस इन्सपेक्टर जब वापिस आ रहा था तो उसे छुरा घौंप दिया गया। यह खेद की बात है और हमलावर पकड़ा भी नहीं गया। क्या उसको पकड़ना केन्द्रीय गुप्तचर विभाग का कर्त्तव्य नहीं था ? क्या गृह मन्त्री इसके बारे में एक वक्तव्य देगी।

श्री शिवाजी राव श० देशमुख (परभणी) : मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में चर्चा न करने के बारे में खेद व्यक्त किया है। इन प्रतिवेदनों के साथ वह विधेयक अधिक महत्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को शामिल करने की व्यवस्था की गई है। जनगणना आयुक्त ने जनगणना का कार्य अगले वर्ष आरम्भ करना है अतः जब तक यह विधेयक पास वहीं किया जाता, तब तक यह चर्चा व्यर्थ होगी।

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : श्रीमानजी, कल जब मत विभाजन हुआ था तो आपने कुछ मन्त्रियों को जो कि राज्य सभा के सदस्य थे, सभा से चले जाने को कहा था। क्या मत विभाजन के समय मन्त्रियों को किसी भी सदन में उपस्थित रहने का अधिकार नहीं हैं ? कल यही विधेयक राज्य सभा में प्रधान मन्त्री प्रस्तुत करेगी परन्तु वह राज्य सभा की सदस्य तो नहीं है फिर क्या मत विभाजन के समय उन्हें भी राज्य सभा से चले जाने को कहा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। उनके सदन में बैठे रहने पर अभी तक कभी किसी ने आप्ति नहीं उठाई क्योंकि वह मतदान में भाग नहीं ले सकते है।

हमने अब तक निरन्तर इस प्रथा का पालन किया है कि मतदान के समय उन्हें सदन से जाने के लिए नहीं कहते हैं। कल तो मैंने बाद की आपत्तियों के बनने के लिए ऐसा कर दिया था क्योंकि वह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक था। हम इसे पूर्व उदाहरण बनाने के पक्ष में नहीं है। हम कार्य मंत्रणा समिति में इस पर विचार करेंगे। साधारणतया तो भूतकाल की प्रथा चलती ही रहनी चाहिये। बाद में कोई यह आक्षेप न करे कि इसने बटन दबा दिया या उसने बटन दबा इसीसे बचने के लिए मैंने ऐसा किया था। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

डा० रामसुभग सिंह : आपको उन्हें यहां बैठने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यदि वही मन्त्री इस सभा में उस विधेयक को चला रहे हों तो क्या स्थिति होगी।

श्री बलराज मधोक : वे चर्चा में भाग ले सकते हैं। परन्तु मतदान के समय उन्हें स्वयं ही सभा से बाहर चले जाना चाहिये।

Shri Partap Singh (Simla) : Mr. Speaker, I am pained to see the order papar of the day. It was declared in this House that Statehood will be given to Himachal Pradesh very soon. We were later on assured that a bill to this effect will be introduced in this very session. To day the House is going to be adjourned but no Bill has been introduced so far. I hope the Prime Minister will say some thing in this regard.

श्री मनुभाई पटेल : कृपया आप मेरी बात सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री मनुभाई पटेल : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं अत: मैं सदन त्याग करता हूं ।

इसके पश्चात श्री मनुभाई पटेल सभा से उठ कर चले गए ।
Shri Manubhai Patel then left the House.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत में मध्यावधि चुनाव 1968–69 सम्बन्धी प्रतिवेदन

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारत में मध्यावधि चुनाव, 1968–69 सम्बन्धी प्रतिवेदन—खण्ड 1 (सामान्य)—(हिन्दी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 4154/70]**

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जिनके द्वारा केरल के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान–सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची सात में कतिपय संशोधन किये गये हैं :—

(एक) एस० ओ० 2753, जो दिनांक 18 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) एस० ओ० 2816, जो दिनांक 26 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए एल० टी० संख्या 4155/70]**

भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1970

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं

(वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1164 में प्रकाशित हुए थे) सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 4156/70**].

केरल औषधि (विधिविरुद्ध कब्जा) अध्यादेश, 1970

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : मैं श्री ब० सू० मूर्ति जी की ओर से केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 4 अगस्त, 1970 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के अन्तर्गत, केरल के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित केरल औषधि (विधिविरुद्ध कब्जा) अध्यादेश, 1970 (1970 का केरल का अध्यादेश संख्या 8) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4159/70**]

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के निदेशन मण्डल के सदस्यों के बारे में वक्तव्य

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के सदस्यों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1301 के उत्तर में 4 अगस्त, 1970 को सभा को दी गई कतिपय जानकारी को स्पष्ट करने के लिए एक विवरण सभा पटल पर रखतां हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिए। एल० टी० संख्या 4162/70**]।

मध्य प्रदेश चावल वसूली (उद्ग्रहण) आदेश, 1960 की अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1179 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश चावल वसूली (उद्ग्रहण) आदेश, 1970 को विखण्डित किया गया था, सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिए। एल० टी० संख्या 4157/70**]।

केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 213 (क) के अन्तर्गत अध्यादेश

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 4 अगस्त, 1970 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) कृषि आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (1970 का केरल अध्यादेश संख्या 6), जो केरल के राज्यपाल द्वारा 26 अप्रैल, 1970 को प्रख्यापित किया गया था।

(दो) करों पर केरल अधिकर (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (1970 का केरल अध्यादेश संख्या 7), जो केरल के राज्यपाल द्वारा 26 अप्रैल, 1970 को प्रख्यापित किया गया था। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिए। एल० टी० संख्या 4158/70**]।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नई दिल्ली के प्रमाणिक लेखे

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम 1962 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 के प्रमाणिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिए। एल० टी० संख्या 4160/70**]।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा को 27 अगस्त, 1970 को लोक सभा द्वारा पास किए गए विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1970 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किए गए तथा अनुमति प्राप्त पश्चिमी बंगाल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1970 सभा-पटल पर रखता हूं।

बेरोजगारी तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की दशा के बारे में याचिका
PETITION RE. UNEMPLOYMENT AND CONDITION OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : मैं देश में बेरोजगारी तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा के बारे में एक याचिका, जिस पर श्री के० एल० मोरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, पेश करता हूं।

मनीपुर तथा त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. STATEHOOD FOR MANIPUR AND TRIPURA

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सरकार को ज्ञात है कि मनीपुर तथा त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में माननीय सदस्य कितनी रुचि लेते रहे हैं। हम मनीपुर और त्रिपुरा की जनता की आकांक्षाओं का आदर करते हैं कि उन्होंने मनीपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। हमने उन परिस्थितियों का निरीक्षण कर लिया है जिनके अन्तर्गत उन्होंने यह मांग की है। हमने उनकी मांगों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है परन्तु इसका ब्यौरा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विकास तथा सुरक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए समन्वित प्रयास को ध्यान में रखकर ही दिया जा सकता है और हमें आशा है कि हम थोड़े समय के भीतर ही निर्णय की घोषणा कर देंगे। सरकार को आशा है कि वहां के लोग अपने क्षेत्रों में उस समय तक शांति और एकता का वातावरण बनाए रखेंगे जब तक निर्णय की घोषणा नहीं होती।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Unless there is an agitation, Government would not pay any heed towards the problems. Do the Government want that the same process be repeated in Delhi ? Why Statehood is not being given to Delhi ? It is an injustice to the people of Delhi. How long they will tolerate it ?

हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित विधेयक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. BILL IN REGARD TO HIMACHAL PRADESH

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों के राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : अध्यक्ष महोदय, 31 जुलाई, 1970 को माननीय प्रधानमन्त्री ने हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने का निर्णय किया था और उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि इस सम्बन्ध में विधेयक यथा संभव शीघ्र सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए यह इच्छा व्यक्त की है कि विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाए। हम माननीय सदस्यों की व्यग्रता को समझते हैं परन्तु इस प्रकार के विधेयक का मसौदा तैयार करते समय विभिन्न मन्त्रालयों तथा निर्वाचन आयोग के परामर्श की आवश्यकता है। परामर्श किए जा रहे हैं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि अगले सत्र में यह विधेयक सदन में पेश किया जाएगा।

पश्चिमी बंगाल के शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में दी गई जानकारी को स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य

STATEMENT CLARIFYING INFORMATION GIVEN RE. WEST BENGAL TEACHERS' SALARIES

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : अध्यक्ष महोदय, 10 अगस्त, 1970 को दिए गए वक्तव्य के पेराग्राफ 7 में मैंने कहा था कि जहां तक 60-65

वर्ष की आयु वर्ग के अध्यापकों पर व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रश्न है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दूसरी तथा तीसरी पंच-वर्षीय योजनाओं में अनुमोदित किए गए संशोधित वेतन-मानों के क्रियान्वयन के लिए सहायता देने से इन्कार कर दिया गया है, राज्य सरकार के लिए इस दायित्व को पूरा करना कठिन समझती है। राज्य सरकार के इस आशय का पता लगने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को सन् 1959 में लिखा कि वह व्यय का अंश (छात्र-कालेजों के लिए 50 प्रतिशत और छात्राओं के कालेज के लिए 75 प्रतिशत) देने को तैयार है बशर्ते कि विश्व-विद्यालय या कालेज व्यय की शेष राशि के भुगतान का दायित्व अपने ऊपर ले। कुछ कालेजों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शर्तों को पूरा करने में असमर्थता प्रकट की, कुछ कालेजों ने उनकी शर्तों को मान कर उनसे सहायता प्राप्त की। राज्य सरकार ने अध्यापकों की 1.4.1969 से 300-800 रुपये का समन्वित वेतन-मान देना स्वीकार कर लिया है और नए समन्वित वेतन मानों में अध्यापकों के वेतन मान नियत करने के उपाय किए जा रहे हैं।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन स्थित शाखा के बारे में दी गई जानकारी को स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य

STATEMENT CLARIFYING INFORMATION GIVEN RE: LONDON BRANCH OF CENTRAL BANK OF INDIA.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : महोदय, सेंट्रल बैंक आफ इन्डिया के लन्दन स्थित कार्यालय में कथित धोखाधड़ी के सम्बन्ध में ध्यान-आकर्षण सूचना के उत्तर में 19 मई, 1970 को वित्त मन्त्रालय के तत्कालीन राज्य मन्त्री द्वारा इस सभा में एक वक्तव्य दिया गया था। उस समय यह बताया गया था कि सैंट्रल बैंक आफ इन्डिया की लन्दन स्थित शाखा के मैनेजर श्री सामी जे० पटेल को 26 मार्च, 1970 को उनके कार्य-भार से मुक्त कर दिया गया था। इस सभा में 3 अगस्त, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1058 के उत्तर में भी इसी तारीख का उल्लेख किया गया था। यह तारीख सरकार को उस समय उपलब्ध सूचना के आधार पर दी गयी थी। सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया ने अब यह सूचित किया है कि श्री सामी जे० पटेल को 31 मार्च, 1970 को कारबार की समाप्ति के समय, उनके कार्य-भार से मुक्त किया गया था। मैं यह वक्तव्य अभिलेख में शुद्धि करने के लिए दे रहा हूं। पहले के व्यक्तव्य में अशुद्धि के लिए मुझे खेद है।

दड विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक

CRIMINAL LAW (SECOND AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं भारतीय दंड संहिता तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति चाहता हूं। **(व्यवधान)**

Mr. Speaker : Please do not interrupt and at least follow the procedure. Just now Shri Mirdha has moved the Motion and the hon. Members want to speak. Let them express their feelings.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, Sir, I oppose the Bill at the introduction satge because it is unconstitutional, undemocratic and against the right of the people. A citizen of India has a fundamental right to assemble peacefully and to form associations or unions. It is a right that Government has laid some restrictions on this right and one of the restrictions is that if any union acts against the sovereignity and integarity of the Nation it can be declared illegal. Therefore the Parliament had passed the unlawful Activities (**Prevention**) Act, the aim of which was to declare those parties as illegal who want to surrender a chunk of Indian territory to any foreign Country. But now this Bill is being introduced to crush the fundamental rights. Whenever it was asked from the Government wheather they are proposing to declare any union as illegal, it was stated by the Government spokesman that the Constitution does not permit it. But now the conspiracy is being hatched out to abolish the existance of unions by introducing this Bill.

This Bill seeks to make amendment in article 153 (A) of Indian Penal Code which says.

"Whoever, by words either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, language, Caste or Community or any other ground whatsoever, feelings of enimity or hatered between different religious, racial or language groups or Castes or Communities or Commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial or language groups or Castes or Communities and which disturbs or is likely to disturb the public tranquillity shall be punished with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both".

It means that this section will be applicable only on persons and not on unions. But now unions are also being included in the section and along with this Government is taking right in their own hands to declare such unions as illegal.

When unlawful Activities (**Prevention**) Bill was introduced in the Parliament a similar section was also there. The Bill was sent to Select Committee and it proposed that this Bill would be applicable only on such unions which act against the integrity and sovereignty of India. The House has a right to know that why Plabicite Front was not declared illegal under unlawful Activities, (**Prevention**) Act ? Does not the Plabicite Front want to keep Jammu and Kashmir to be seceded from India ?

The Naxalite activities are assuming dangerous proportions in the Country. Naxalite have found a place even in our Army. Few days back Naxalite posters were found pasted on 36 ships of Indian Navy. What action has been taken against them ? Similarly the Naxalite elements are found in Air Force. Recently an aeroplane of Indian Air Force which flew from Halwara Air Port wrecked but the news did not come in the press because it was due to sabotage by Naxalites. In a Consultative Committee of the Home Ministry our Prime Minister had assured the House that law will be made against Naxalites but no such law has come before us against the Naxalites who are a danger for the integerity, liberty and democratic set up of India. The question is that what is the propriety of introducing such Bill ? Why the hon. Prime Minister has not called All Party leaders before introducing this Bill ? Who will decide that Muslim League is Communal or not ? Are the Muslim League and its supporters are not guilty ? It was demanded that an independent tribunal should be appointed to see what is

Communalism and which is a Communal party but the demand was rejected. The Government want to take this right so as to criticise the opposition parties but the House is not prepared to give such right to Government, Therefore, I want that this Bill should be taken back.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : This Bill is unconstitutional and against the conception of democracy. Under article 19 of Constitution an Indian citizen has been given two fundamental rights of individual freedom and freedom of making Associations. No doubt there are some restrictions on it but this Bill goes beyond those restrictions.

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक संवैधानिक है अथवा असंवैधानिक, यह निर्णय करना न्यायपालिका का काम है। यहाँ प्रश्न तो यह है कि संविधान के अन्तर्गत सदन इस विधेयक पर चर्चा करने में समर्थ है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अनुच्छेद संख्या 19 हवाला दिया है और वह इसे स्पष्ट कर रहे है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The House can not make changes in our Fundamental rights. If any citizen involves in unlawful activity he is punished under section 144, But this Bill seeks to abrogate it. I want to quote the Bill which says "engages or participates in any exercise, movement, drill or other similar activity, which, for any reason whatsoever, causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of any religious..." It means that if anybody is frigntened by drill, the man who performs drill will be arrested ? It is not proper. Actually this Bill is being introdueed out of the fear of increasing popularity of R. S. S Regarding Association the Bill says :

"Which has for its object any activity which is punishable under section 153A of the Indian Penal Code, or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or of which the members undertake any such activity". It has been done with malacious intention. Naxalite activities are increasing but no Bill has been introduced to check them. On the other hand this Bill is being introduced due to political vendetta. Therefore I oppose the Bill at the stage of introduction.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I have submitted one Notice right at ten but I do not know why it has not been delivered to you ? It is improper.

Mr. Speaker : I was also astonished why notice given by the hon. Minister has not come to me. However, He must have patience because it is my principle to call the hon. Member as soon as I receive the Notice.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I would raise three points against the proposed Bill. My first point is this that the hon. Prime Minister had anounced in the current session in the Lok Sabha and Rajya Sabha in strong words that Government is making law so as to crush the unlawful activities. But it seems that Government was only playing lip service. The Bill which is being introduced is based upon apprehension. If such Bills are introduced it will be murder of democracy and Constitution. The article 47 of the Constitution says :-

"The state shall regard the raising of the level of nuterition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties..." In view of this it would be unwarranted to impose ban on drills which are good for health. Therefore, this Bill is unconstitution.

Shri B. P. Mandal : (Madhepura) : I agree that there should be no objection at the introduction stage. When in Bihar we came in power we did maintain peace on the eve of festivals like Id, Bakrid, Holi etc, But here I find that this Bill is not out of danger.

अध्यक्ष महोदय : आपकी संवैधानिक आपत्ति क्या है ?

श्री बि० प्र० मंडल : मेरी आपत्ति यह है कि संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक को संगठन या राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है । इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद....

Mr. Speaker : The hon. Member should speak on the merits of the Bill only when a discussion will be held. Now he should restrict his speech on the technical aspects of the introduction of the Bill.

Shri B. P. Mandal : My point is this that after the adoption of this Bill it would become very difficult for people to organise political parties. It is clear that after the adoption of this Bill if the Government do not fall in line with political parties it would not allow them to flourish. This tendency of Government is not desirable. Therefore I oppose the Bill at the introduction stage.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : In the statement of objections and reasons it has been stated :

"Drills, exercises and other similar activities organised by Communal and other divisive forces cause apprehension, fear or a sense of insecurity amongst members of the affected Communities and also affect prejudically the maintenance of public iranquillity. It is necessary, therefore, to make a specific provision in section 153A of the Indian Penal Code to deal with persons engaged in such activities".

Wherever riots were flared up. Some political parties were found indulged in it. I do not want to allege any party but in the body of the Bill it has been clearly written :

"Unlawful association means any association which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity;" Whenever a Bill on unlawful Activities was introduced in Parliament we opposed it tooth and nail. But here I agree with the opinion that the Communal organisations should be banned. But it would be improper to introduce such kind of Bills taking undue benefits of our support. Before introducing the Bill political parties have not been consulted. I want that the hon. Minister or hon. Prime Minister should postpone the Bill for next session and decision should be taken after consultation from various parties.

Shri Shiva Chandra Jha : I oppose the Bill on two points. In Clause (2) it has been said :

> "engages or participates in any exercises, movement, drill or other similar activity etc".

It is highly elastic. It is against 19(B) and 19(D) of the Constitution. Government can not settle communal disputes by such Bill.

Secondly in clause (2) Jammu and Kashmir have not been included. clause (2) says :

"Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir."

Our constitution is some what defective. Since Kashmir do not come within the purview of our Bill, this is against Constitution. The concept of integerity of India is not clear, Therefore, I oppose the Bill and I want Bill be taken back.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह विधेयक वापिस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार के पास ऐसे पर्याप्त विधान हैं जिनसे वह साम्प्रदायिकता को प्रभावशाली ढंग से समाप्त कर सकती है। इस विधेयक का दुरुपयोग शासित दल की राजनीतिक प्रगति के लिए भी किया जा सकता है। आज हमारी सेना तथा पुलिस एवं असैनिक प्रशासन में भी साम्प्रदायिक तत्व प्रवेश कर चुके हैं। अतः केवल कानून बनाकर सरकार इसको समाप्त नहीं कर सकती। अतः मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूँ कि सरकार इस विधेयक को वापिस ले ले।

श्री वी. कृष्ण मूर्ति (कडुलूर) : मैंने विधेयक के विरोध में नोटिस दिया था। परन्तु अब मुझे पता चला है कि विधेयक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा शिव सेना जैसे साम्प्रदायिक संगठनों को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, मैं विरोध का कोई कारण नहीं समझता। मैं न तो इस विधेयक का विरोध करता हूँ और न ही इसका समर्थन।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिक को विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। यह विधेयक उन अधिकारों के विरुद्ध तो जाता ही है साथ ही व्यक्तियों द्वारा बनाए जाने वाले समुदायों के भी विरुद्ध जाता है।

पिछले दिनों उन्होंने संसद का मुंह बंद करने की चेष्टा की थी और उसमें वे सफल रहे। आज वे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इन कारणों से मेरी पार्टी इस विधेयक के सर्वथा विरुद्ध है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : इस समय ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो खुले आम कहते हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों से हत्याएं करना उनका धर्म है। वे ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग छिपे हुए हैं और वे उन्हें खोज निकालना चाहते हैं।

बंगाल में नित्य घट रही राजनीतिक हत्याओं को देखते हुए हम ऐसे क्षेत्रों में आपात स्थिति की घोषणा करने की मांग करते रहे हैं। देश भर में शिव सेना, गोपाल सेना कई सेनायें बनी हुई हैं जो विघटनकारी कार्यों में रत हैं और सरकार उन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती।

वे सभी शक्तियां अपने हाथ में वैसे ही लेना चाहते हैं जैसे अंग्रेजों ने रालट एक्ट के माध्यम से किया था परन्तु उन्हें स्मरण रहना चाहिए कि इस विधेयक की वही दशा होगी जो रालट एक्ट की हुई थी।

विभिन्न कारणों से इस सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह अल्पमत की सरकार है। सरकार को पहले के दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा स्थापित परम्परा का पालन करना

चाहिए जिसके अनुसार वे विवाद स्पद् मामलों पर चर्चा करने के लिए विरोधी दलों के नेताओं का आमंत्रित किया करते थे। उन्होंने न तो ऐसा ही किया और न ही राष्ट्रीय एकता समिति से परामर्श किया।

ऐसी हालत में यह कतई उचित नहीं कि अल्पमत सरकार को इतनी अधिक शक्तियां दी जाएं। उन्हें आम चुनाव तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि देश में या तो बहुमत की अथवा मिली जुली सरकार बन जाए। यदि सरकार सत्य निष्ठ है तो उसे नक्सल पंथियों और उनके जैसे दलों को गैर-कानूनी घोषित करना चाहिए जो दल हत्या लूट और आगजनी आदि कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसी दशा में ही हम उनसे सहयोग कर सकते हैं। परन्तु जब तक वे नक्सल पंथियों के बारे में प्रकाश वी शास्त्री के प्रस्ताव को टालते जा रहे हैं कोई भी समझदार व्यक्ति इस विधेयक का समर्थन नहीं करेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I strongly oppose this Bill which proposes cubs on individual freedem. I shall oppose every Government which attacks on individual freedom under whatever plea.

I believe that this bill has been introduced under entry number 1 of the list number 3 which reads as follows :

"Criminal law including all matters included in the Indian Panel code at the time of commencement of this coustitution but excluding offences against laws with respect of the matters specified in list I on list II".

I feel that we do not have any power to increase upon the rights of the states. My second contention is that this bill violate the fundemental rights guaranteed by the constitution. We should legislate only in the matters which do not violate the fundemantal rights. The bill is not clear but has inbiguities.

Tomorrow you might bring favoured legislation that whosoever speaks against Mrs. Gandhi, Government would be dealt with under Indian Penal Code. I suggest that as this Government has introduced this Bill therefore we should proceed against this Government for contempt. Here I distinguish between nation and the state. In a democratic country individuals, parties, Governments, states and nations are separate entitles. In a fascist country all these combine in one. I always try to oppose the Governments both the state and at the centre from the protection of individual freedom and the constitutional violations.

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : मैं अपने दल की ओर से कुछ कहना चाहता हूँ। हम विधेयक के उद्देश्यों से सहमत हैं। मुझे भय है कि विधेयक में सरकार को इतनी विस्तृत शक्तियां देने का प्रस्ताव है कि उनका दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण है। सरकार यदि केवल साम्प्रदायिक संस्थाओं के विरुद्ध इसका उपयोग करना चाहती है तो उसे पहले राजनीतिक दलों में विचार-विमर्ष करना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं अपनी पार्टी की ओर से वक्तव्य देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि आपकी पार्टी को समय नहीं मिला। फिर भी आप एक मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री समर गुह : हमें लगता है कि सरकार का अपने आप पर और भारत की जनता पर विश्वास उठ गया है अन्यथा ऐसा विधेयक यहां न प्रस्तुत किया जाता। न केवल मेरे दल ने अपितु सभी दलों ने साम्प्रदायिक दलों पर रोक का समर्थन किया है। अतएव यह नितान्त आवश्यक है कि सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए। मन्त्री महोदय ने कहा था कि राष्ट्रीय एकता परिषद साम्प्रयादिक दलों की परिभाषा निश्चित कर रही है।

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसके भयानक परिणाम होंगे।

मेरी पार्टी जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन करने वाले विधेयक का विरोध करती है।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा (जम्मू) : अन्य राज्यों की भांति कानून और व्यवस्था का प्रश्न जम्मू और काशमीर राज्य के लिये भी वैसा ही है। जब भी कोई महत्वपूर्ण विधेयक लाया जाता है उस राज्य की उपेक्षा की जाती है।

श्री राम निवास मिर्धा : किसी भी विधेयक की पुर स्थापना के समय विरोध कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य अत्यन्त सीमित है। सदस्यों की यह आशंका कि उसका उपयोग श्रमिक संघों के क्रिया कलाओं और हड़तालों को अवैध घोषित करने में किया जायेगा, व्यर्थ है। गैर-कानूनी कार्यवाहियों (निरोध) अधिनियम 1967 में "गैर-कानूनी" शब्द की विशिष्ठ व्याख्या की गई है। इस विधेयक का उससे अधिक कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य है गैर कानूनी कार्यवाहियों की परिभाषा को और विस्तृत करना।

श्री रा० बरुआ(जोरहाट) : अधिनियम में एक प्रकार से व्याख्या की गई है और भारतीय दण्ड संहिता में दूसरे प्रकार से। दोनों भ्रामक हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153--A में परिवर्धन किया जा रहा है। अब तक व्यक्तियों के कुछ क्रियाकलाप गैर-कानूनी माने जाते थे। इस विधेयक द्वारा संस्थाओं एवं संगठनों को तथा उनके सदस्यों को भी उस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

मैं स्पष्टत : कहना चाहता हूँ कि विभिन्न अधिनियमों में परिभाषित गैर-कानूनी कार्यवाहियां इस विधेयक की परिसीमा में नहीं ली जाएंगी। मैं नहीं समझता कि मूल अधिनियम और संशोधन करने वाले इस विधेयक के शब्द ऐसे नहीं हैं जिनका जन-आन्दोलनों के विरुद्ध उपयोग किया जा सके।

श्री उमनाथ : ऐसा लगता है कि शासक दल को 1 बजे से पहले मतदान नहीं करना चाहिए। यह बात अच्छी नहीं।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मन्त्री महोदय को भाषण देने की अनुमति अवश्य देनी चाहिए। वे हमारे सदस्यों का मुंह बन्द कर रहे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : कुछ सदस्यों ने कहा है कि सरकार संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति अपने हाथ में ले रही है। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। आरोपों की जांच कम से कम एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन के समय मतदान नहीं होगा। मन्त्री महोदय उसके बाद अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha Then adjourned For Lunch till Fourteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर दो मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at two minutes Past Fourteen of the clock.

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Speaker** *in the Chair* }

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : इस बारे में कोई दो राय नहीं कि साम्प्रदायिक कार्यवाहियों को रोका जाना चाहिए। प्रस्तुत विधेयक का सीमा क्षेत्र संस्थाओं पर भी लागू होता है। प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये हमें जनतान्त्रिक उपाय ही अपनाने चाहिए। इस विधेयक द्वारा राज्यों की शक्तियों को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

श्री मोरारजी देसाई : लंच से पूर्व मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे थे परन्तु अब अन्य सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैंने उनसे पूछा था कि उनकी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोरारजी देसाई : परन्तु आपने उन्हें अपना भाषण चालू रखने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मुझे श्री मोरारजी देसाई से यह टिप्पणी मिली है कि मैंने जानबूझ कर मतदान को टाला है, जब कि यह परम्परा रही है कि लंच अवधि में मतदान नहीं होता।

श्री रंगा : हमें पता है कि जो कुछ यहां हुआ है। हम समझते हैं कि किस तरह इस सभा का संचालन हो रहा है।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : I want to express my views on this bill. Shri Morarji Desai should have his words spoken in your regard or he should withdraw them.

श्री मोरारजी देसाई : मैं न केवल अपने शब्दों को वापस लेता हूँ अपितु उन पर दृढ़ हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जब श्री पाणिग्रही बोलने को खड़े हुए तो मैंने मन्त्री महोदय को बैठने को कहा। इस ओर बहुत शोर हो रहा था।

डा० राम सुभग सिंह : संसदीय मामलों के मन्त्री व्यवस्था का प्रश्न उठाने का संकेत कर रहे थे।

श्री रंगा : यदि आप सभा को इस प्रकार चलाते हैं तो आप हमसे सहयोग की आशा नहीं रख सकते।

Shri Shashi Bhushan : There is no basis in the statement of Shri Desai and Shri Ranga.

Shri Hukam Singh Kachwai : The allegations made by Shri Morarji Desai are correct.

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री मोरारजी देसाई सहित अन्य माननीय सदस्य चाहे मंत्री महोदय की आलोचना करें, मेरा इस से कोई विरोध नहीं है। परन्तु अध्यक्ष ने जो विनिर्णय दिया है उसका सम्मान हमें करना ही चाहिये। एक समय था जब श्री मोरारजी देसाई संसदीय लोकतंत्र में आस्था रखते थे परन्तु अब वह कुछ भूल गये हैं (**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : नौ सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली..... (**व्यवधान**)

श्री रामनिवास मिर्धा : सदन में माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न किये हैं और उनका उत्तर दिया जाना भी आवश्यक ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना भाषण आरम्भ किया था। अभी मैंने एक ही बात कही थी और दूसरी पर आ रहा था कि व्यवधान पैदा हो गया।

श्री क. ना. तिवारी (बेतिया) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न। है। हमारा भी यही मत है कि सरकार इस विधेयक को वापस ले ले।

श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : आप इस विधेयक को वापस लें.....(**व्यवधान**)

श्री रामनिवास मिर्धा : कुछ बातें उठायी गई हैं जिनका मैं संक्षेप में उत्तर देता हूँ।

विधेयक के बारे में वैधानिक औचित्य की बात उठाई गई है यह कहा गया है कि विधेयक समवर्ती सूची के अन्तर्गत नहीं आता है बल्कि राज्य सूची में आता है। इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि संसद को इस विषय में पूरा अधिकार हैं। हम एक अधिनियम में संशोधन करने जारहे हैं जिसे संसद ने पहले ही पारित कर दिया है। यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 (क) का एक संशोधन है। हम जो कुछ कर रहे हैं वह सब कुछ समवर्ती सूची में आता है। संसद इस पर केवल विचार करने के लिये ही नहीं बल्कि उसे पारित करने के लिये भी सक्षम है।

दूसरी बात संवैधानिक औचित्य तथा मूल अधिकारों की उपेक्षा तथा उनको समाप्त करने के विषय में कही गई है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि विधेयक में जो भी व्यवस्था की गई है वे सब तर्कसंगत हैं तथा संसद की विधायी शक्तियों के अन्दर है..... (व्यवधान)

यह विधेयक ना ही असंवैधानिक है और ना ही अलोकतांत्रिक सदन में जो विचारधारायें व्यक्त की गई हैं उनको ध्यान में रखकर हम विधेयक पर बल नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विधेयक पेश करने की अनुमति के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : जी हां।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The motion was by leave, withdrawn.

Shri Madhu limaye(Monghyr): Sir, Due to flood in Ganges in my constituency, people have gone homeless. The Administrative authorities have assured rehabilitation of flood victims by 1970, there, the people are dying of hunger due to famine also. I would like to make a request that the Govt. to look into the matter and take necessary action.

श्री स. कुण्डू (बालासौर) : हरियाणा सरकार के विरुद्ध प्रेस परिषद् द्वारा हाल ही में किये गये एक निर्णय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस मामले को मैंने पहले भी यहां पर उठाया था। प्रेस परिषद् ने 'ट्रिब्यून' के मामले में हरियाणा सरकार की गतिविधियों की ओर निर्देश किया है। 'ट्रिब्यून' के हरियाणा सरकार से असहमत होने पर, सरकार ने अपने विज्ञापन उसको देना बन्द कर दिया तथा अन्य अनेकों रुकावटें पहुँचाई। सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न है, इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : यदि प्रेस परिषद् यह विश्वास दिलाती है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर को आंच नहीं आयेगी तब राज्य सरकार पर प्रेस परिषद् के विचारों से सहमत होने के लिये दबाव डाला जाना चाहिये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : 'ट्रिब्यून' नामक समाचार पत्र चण्डीगढ़ में छपता है। राज्य सभा में इस मामले पर चर्चा हो चुकी है। यदि यहां कोई चर्चा नहीं की जाती तो यह उचित नहीं होगा। प्रतिदिन ही समाचार पत्रों में यह समाचार मिलता है कि हरियाणा सरकार प्रेस परिषद के निर्णय को ठुकरा रही है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, इस विषय में कुछ किया जाना चाहिये (व्यवधान)

श्री बलराज मधोक : राज्य सरकार ने प्रेस परिषद् के निर्णय को ठुकरा दिया है। यदि राज्य सरकारें प्रेस परिषद् के निर्णय को ठुकराती हैं तो सरकार समाचार पत्रों को प्रेस परिषद् के निर्णय को मानने के लिये किस प्रकार बाध्य कर सकती है। अतः यदि प्रेस की स्वतंत्रता

को आश्वस्त कराने के लिये प्रेस परिषद् कोई कार्यवाही करती है तो राज्य सरकारों को प्रेस परिषद् के निर्णय मानने के लिये बाध्य होना चाहिये ।

श्री श्रीचन्द गोयल : 'ट्रिब्यून' नामक समाचार पत्र के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने की अनुमति दी जाय । ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र चण्डीगढ़ में छपता है । दूसरे सदन में इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया और इस पर चर्चा हुई । यह उचित नहीं है कि ट्रिब्यून वाले मामले पर इस सदन में चर्चा का अवसर ही न मिले । हम प्रतिदिन ही समाचार पत्रों में यह पढ़ते हैं कि हरियाणा सरकार प्रेस परिषद के निर्णय को ठुकरा रही है । यदि इस सम्बन्ध में कानून में कोई कमी है तो उसे ठीक करने के लिये तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि सरकार गलती करने वाले राज्य के विरुद्ध कार्यवाही कर सके । इस महत्वपूर्ण विषय में कोई न कोई कार्यवाही की जानी चाहिये ।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker Sir, there should be a full discussion on this subject. It is not possible today let it be during next session. **(Interruption)**

Mr. Speaker : If all of you speak together at a time like this, then nothing will go on record.

श्री स. कुण्डू : मैं बता रहा था कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है । आज सभा स्थगित होने से पूर्व सरकार की ओर से एक वक्तव्य देने के लिये कहा जाय ।

दूसरे एक महत्वपूर्ण मामला और है । इस विषय में मैं आपको लिखित रूप में दे रहा हूं । उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश । * *

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सभी विषयों पर बोलने की अनुमति नहीं दी है ।

Shri Kanwarlal Gupta : Free-for-all-Condition can occur at the final stage. Please don't allow that this time.

श्री स. कुण्डू : आप आधी मिनट के लिये मेरी बात सुन लीजिये । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बदनाम करने का यह नया तरीका है । * *

Mr. Speaker : Please sit down. I am on my legs. When this motion was moved I had told you that there is a special procedure regarding the conduct of High Court Judge. Such a motion can not be moved as and when desired. If the notice is given according to the procedure then the matter will be looked into.....**(Interruption)**

श्री स० कुण्डू * *

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : As you know Sir, the bill regarding press council has been passed by the parliament. The bill was passed unanimously. The information minister has also assured that the verdict of press council will be a binding. Now Haryana Government is flouting the verdict of the press council. Both the central Government and the ruling party should force Haryana Government to abide by the verdict of the Press Council.

कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : अब जो कोई भी बोलेगा वह रिकार्ड में नहीं जायेगा ।

श्री शिवचन्द्र झा : * *

Mr. Speaker : Please take your seat.

संविधान (चौबीसवां-संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में
RE. VOTING ON CONSTITUTION(TWENTY FOURTH AMENDMENT). BILL

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : कल जो मतदान हुआ उसमें गड़बड़ी हुई है । यह गम्भीर मामला है, इस विषय को उठाया जाना आवश्यक है । यह लोक सभा में मतदान का मामला है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक चीज की जांच करके मतदान कराया गया है । मेरा निवेदन है आप प्रत्येक परिणाम को स्वीकार कर लें ।

Shrimati Tarkeshwari Singha : This is your record, Sir, kindly examine that and then take decision.

Mr. Speaker : The decision I have given is correct.

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : क्या आप गम्भीरतापूर्वक यह बात कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ है उससे आप अनभिज्ञ हैं ?

Mr. Speaker : Yesterday, at the time of voting, there was no complaint regarding voting procedure. Had there been any complaint **(Interruption)**

श्री बलराज मधोक : हमें कल भी सन्देह था कि मतदान में गड़बड़ी हुई है आपके रिकार्ड से भी यह बात सत्य सिद्ध हो जाती है कि कल मतदान में गड़बड़ी हुई है । मत गलत हुआ है । जो विधेयक पास हुआ है वह गलत हुआ है । अतः फिर से मतदान होना चाहिये ।

Mr. Speaker : The compalaints made yesterday by the members were noted. If you have got some specific example, that may be looked into. The bill has been passed yesterday. If there is anything wrong, I will look into it.

Shri Madhu Limaye : It has been alleged that malpractices were committed in yesterday, Voting. It is a very serious charge. This involves the prestiege of the nation, the matter should be given a serious thought and proper checkup be made.

श्री जी. भा. कृपालानी (गुना) : श्री मधु लिमये ने जो प्रस्ताव रखा है वह स्वस्थ तथा निश्पक्ष है । जब मतदान के विषय में सन्देह व्यक्त किया गया है तब उसकी जांच कर लेना अच्छा ही है, इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : श्रीमान् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कल आपने जो परिणाम घोषित किये थे उनमें तथा आपके कार्यालय द्वारा जारी किये गये समाचार में अन्तर है । कृपया बताया जाय कि दोनों में कौनसा ठीक है ।

---

* * कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि दोनों में अन्तर क्यों है क्या आप फिर से मतदान करायेंगे ? मेरे इस व्यवस्था के प्रश्न पर आप अपना निर्णय दें ।

Mr. Speakee : Every thing was looked into indetails. A consideration was made to all the points raised regarding the malpractices in Voting. Having considered all these things I had declared the result, and that is correct.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आपको उसे सुनना ही होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूँ (व्यत्रधान)

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : हम इस बात को प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं कि कल हमारी हार हुई थी और अब इस प्रश्न पर पुनः चर्चा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री रणधीर सिंह : हम आपकी बात को नहीं सुनना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अदि आप इस प्रकार बोलते रहे तो कोई उपाय नहीं है ।

श्री पीलु मोडी : जैसा भी मतदान हुआ है, उस पर किसी प्रकार की शंका व्यक्त नहीं की जानी चाहिये । आपके द्वारा अभी दिये गये आश्वासनों से हमें संतोष नहीं है....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री पीलु मोडी : आपके टेबल से ली गई जानकारी से यह निश्चित हो गया है कि पांच मत दो बार दिये गये थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूँ ।

श्री पीलु मोडी : मैं तो इसका दोबारा आपसे अनुसमर्थन कराना चाहता हूं कि क्या मत दो बार पड़े हैं.....(व्यवरान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है.....(व्यवधान)

श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : जब आपने निर्णय की घोषणा की थी तो आपके पास फोटोग्राफ की प्रतियां नहीं थी । मै जानना चाहती हूं कि आपने फोटोग्राफ कब देखे थे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सब फोटोग्राफ देख लिये हैं और अपना निर्णय दे दिया है (व्यवधान)

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय यह है कि परिणाम ठीक था ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : कल मतों की संख्या की जो घोषणा की गई थी वह सही है अथवा आज के मतों की संख्या सही है ?

कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विचार प्रस्ताव पर हुये मतदान का सम्बन्ध है, मशीन द्वारा बताये गये आंकड़ों तथा मत-गणकों द्वारा रिकार्ड किये गये आंकड़ों के आधार पर मैंने कल घोषणा की थी कि

पक्ष में—336 मत थे

और विपक्ष में 155 मत थे

फोटोग्राफ से जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि सही आंकड़े ये हैं :

पक्ष में—331 मत थे

विपक्ष में–154 मत थे

मेरे द्वारा मतदान के घोषित परिणाम पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ता है। दो-तिहाई बहुमत स्पष्ट है।

मैं सूचना पट्ट पर भी रख देता हूं।

एक माननीय सदस्य : पांच मत दो बार दिये गये थे (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पुनः जांच के बाद मैने विधेयक को पारित हुआ घोषित किया।..... (**व्यवधान**)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : While you have accepted that five votes were cast second time then action must be taken against those members who have casted their votes second time.

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवरलाल गुप्त।

रूसी विश्वकोष में भारतीय क्षेत्र को चीन का हिस्सा दिखाये जाने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : INDIAN TERRITORY BEING SHOWN AS PART OF CHINA IN RUSSIAN ENCYCLOPAEDIA

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I beg to move :

"that this House disapproves the action of the Government in not sending protest note in writing to U. S. S. R. Government for showing large chunks of Indian territory as part of China in Russian Encyclopaedia"

Mr. Speaker Sir, 55,000 square miles of Indian territory has been shown as a part of China in Russian Encyplopaedia. It is very serious thing. This is a question of self respect of the country. It is a clear case of cartographical aggression which has been made by U. S. S. R. against India. When the hon. Minister was asked about the reply given by U. S. S. R. in response to our protest letter, he has stated in the Rajya Sabha

that U. S. S. R. had told that there was no political singnificance of such maps and they honour the territorial jurisdiction of India. This is not being done now but they are doing this since 1955. Inspite of the repeated protest notes from our Government to U. S. S. R. Government nothing has been executed.

This matter was first reised in Parliament on August 22, 1960 and the Parliamentary Secretary of the Prime Minister apprised the House of the reply given by the U. S. S. R. Government to consider the matter. He accepted that large chunks of Indian territory were shown as part of Chaina in Russian maps. During the last sixteen years the U. S. S. R. Government has published five times atlases and maps and millions and millions of maps were published with this type of maps. In those maps is there any single map In which the Indian territory has been shown correctly ?

On the fifth anniversary of Russian Revolution an Encyclopaedia was published under the hand and seal of the communist party and the Government of U. S. S. R. The hon.Minister must not assume that this encyclopaedia has no political significance because it has been published in confirmity with the Government of U. S S. R.

The hon. Minister has stated that Russia is our friend. A friend can once commit a mistake but inspite of several reminders during sixteen years, that friend goes on committing mistake and does not correct it.

Once China also did the same mischief. It becomes clear by this that Russia is repeating the same thing which China has already done and therefore it is a pre planned and mischievous move.

A part from Soviet Union the similar maps have been published in Hungary, East Germany and in other East European countries.

Are the Government aware of the number of maps published in East European countries in which Indian territory has been shown as part of China ? I agree with my hon. friends who say that in some of the maps of Great Britain and U. S. A., Indian territory has been shown as part of China or Pakistan. After all why is this happening ? What is the purpose behind it? It is obvious. Russia wants to settle her dispute with China at the cost of India. There were sweet relations between China and Russia in 1956 when thisencyclopaedia was published. Now they are at disputes. But Russia does not want to annoy China and she thinks that the Government of India can not do any thing.

If this case is moved to the world court and the other countries say that this is the encyclopaedia of a country who is a friend to India, what would be the result ? Has the Hon. minister thought that the serious result may come out of it ? It is not correct to say that it has been done by a technician. Soviet Union is a closed society. There is such regingetation there... **(Interruption)**.

{ उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

Not withstanding the closed society in U. S. S. R. Radio Peace and Progress and Radio Moscow broadcasted such programmes which were irreputable to the name of our great leaders like Gandhiji.

I agree to the saying of my friend that Soviet Russia helped us. But that help does not mean that she should show 50,000 square miles of Indian territory as part of China.

When we raised the question about the role of Radio peace and progress, the Government replied that was an independent body. Is there anything independent there ? The circulation of Russian newpapers in India was banned (**Interruption**). The Government said that they had sent four protest notes. They were not protest notes but a sort of aide memory Would the hon. Minister place on the table of the house the replies to those protest notes received from Soviet Russia ?

Our Diplomatic Mission in Moscow does not function sincerely. Three months have elapsed since the publication of this Encyclopaedia but they did not even inform our Government. The hon. Minister himself accepted it. It is a good thing that the Government have banned the circulation of certain Russian maps in India. While his visit to India what did our Ambassador to U S S.R. tell our Government about the role which has been played by the Soviet Union Government for the last sixteen years.

When the B.B.C. depicted the wrong picture of India, the Government took strict action against the co-operation but the Government do not want to take any action against Soviet Union. A similar action should be taken against the cultural of Soviet Union as has been taken against the correspondent of the B.B.C. I am not in favour of breaking diplomatic relations but there must be equal treatment with both the countries.

When Russian embassy constructed a cultural centre at Trivendrum without permission, the Government should have stopped the construction of that centre. But by stopping the working of Russian cultural centre, the Government stopped functioning of other centres managed by other Embassies. The Government should have a uniform policy regarding such diplomatic relations. In case of diplomacy every nation is a friend but every nation may be an enemy when her national interest arises

The Government have become dependent on Soviet Union.

If the Government continue to give liberty to them, this liberty will not be limited up-to maps but it may take the place of agression. The Government should take concrete action in this regard and write to the Soviet Union Government for publishing a corrigenda of these maps. If the Government do not take any action within two or three months. an agitation will be lannched by the people of this country.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री श्रीचंद गोयल (चंडीगढ़) मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि प्रस्ताब में,—

"disapproves the action of the Government in not sending protest note in writing to U.S.S.R. Government for showing large chunks of Indian territory as part of China in Russian Encylopaedia."

[रूसी विश्वकोष में भारत के बहुत बड़े राज्य क्षेत्र को चीन का हिस्सा दिखाये जाने पर सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ सरकार को विरोध पत्र न भेजने की सरकार की कार्यवाही का निरनुमोदन करती है ।]

के स्थान पर "in view of the Government of India's action to ban those U.S.S.R. maps which show large chunks of Indian territory as part of China, recommends to the Government to ban all such maps published by foreign countries wherein any Indian territory has been shown as either disputed or in China or Pakistan."

(भारत सरकार की सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के उन मानचित्रों पर जिनमें भारत के बहुत बड़े राज्यक्षेत्र को चीन का हिस्सा दिखाया गया है, प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए सरकार से दूसरे देशों द्वारा प्रकाशित उन सभी मानचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश करती है जिनमें कोई भी भारतीय राज्यक्षेत्र विवादग्रस्त अथवा चीन या पाकिस्तान में दिखाया गया है ।)

रख दिया जाये ।" (संख्या 2)

श्री सन्त बख्श सिंह: (फतेहपुर): रूसी नक्शों में हमारे देश की सीमाओं को गलत दिखाये जाने पर देश के प्रत्येक व्यक्ति ने चिंता व्यक्त की है । इस मामले में किसी एक दल विशेष की कोई बात नहीं है । रूस ने 15 वर्षों तक लगातार गलत नक्शों का प्रकाशन किया है यह अच्छा कार्य नहीं है ।

यह सुझाव दिया गया है कि रूस के कल्चरल एटेची को निकाल दिया जाना चाहिये । इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल रूस ने ही गलत नक्शे नहीं छापे हैं वरन् यूरोप के कुछ देशों ने तो इससे भी अधिक गलत नक्शे छापे हैं उदाहरण के लिये अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया में कश्मीर को स्वतन्त्र राज्य दिखाया गया है । राष्ट्र संघ तथा अमरीका के नक्शों में गोआ को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है तो इन सब देशों के कल्चरल एटेची को निकाला जाना चाहिये । क्या यह देश दूसरे देशों में छापे जाने वाले नक्शों में दिखाये गये राज्य क्षेत्रों के आधार पर ही एकता तथा सुरक्षा के मामले में निर्भर होने जा रहा है ? जब सरकार ने बी. बी. सी. के संवाददाता को निकाला तो साथ ही साथ जिस किसी देश ने भी हमारे देश के गलत नक्शे छापे, उन सभी प्रकाशनों पर भी प्रतिबन्ध लगाया है ।

जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमारे राजनयिकों के लिये किया गया है, उससे तो हमारे पद का दुरुपयोग और अन्यों की दृष्टि में उन्हें गिराना हुआ । इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री कंवरलाल गुप्त ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि सरकार ने लिखित विरोध पत्र नहीं भेजे बल्कि वे तो निदेश-पत्र थे । जब भी रूस ने इस प्रकार के नक्शे छापे हैं सरकार ने तुरंत रूस सरकार से उनका विरोध किया है तथा जितना विरोध किया गया अथवा विरोध पत्र भेजे गये उन सब पर चर्चा की जाती रही है ।

जिस भाषा का प्रयोग हम यहां सभा में करते हैं, क्या वैसी ही भाषा का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनयिकता के क्षेत्र में भी करें ? मेरे विचार से ऐसा करने के लिये कोई सहमत नहीं होगा।

यह कहा गया है कि इन नक्शों की राजनीति महत्ता है। इन नक्शों को वर्ष 1955 में छापा गया था परन्तु जब 1962 तथा 1965 में हमें लड़ाई करनी पड़ रही थी उस समय रूसी हथियारों से हम लड़ रहे थे और 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और चीन ने भी हस्तक्षेप करने की धमकी दी थी तब हमने तथा रूस ने चीन से स्पष्ट कह दिया था कि वह हस्तक्षेप नहीं करे।

इस प्रकार की छोटी छोटी बातों से इस देश को उद्विग्न नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा होगा तो विदेश मंत्री दूसरे देशों से उसे ठीक करने के लिये कहेंगे और तब देश उनका आभारी होगा।

देश की सीमाओं की सुरक्षा देश के नागरिकों द्वारा की जाती है अमरीका अथवा रूस की कृपा पर सीमायें निर्भर नहीं करती हैं।

इस देश का सम्मान और वैदेशिक कार्य राष्ट्र की चिंता के विषय हैं परन्तु मैंने गत तीन वर्षों में सभा में यह देखा है कि देश की जनता की आवाज को गंभीरता पूर्वक नहीं उठाया जाकर दलगत राजनैतिक स्वार्थों को लेकर संकीर्ण प्रश्न उठाये जाते हैं।

विदेश नीति का विषय कोरी भावुकता का विषय नहीं होकर यथार्थवादी विचारों पर आधारित होना चाहिये। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करता हूं जब लोग देश की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। मैं अब अन्य वक्ताओं से निवेदन करता हूं कि वे रूस के किसी ट्रेक्नोक्रेट अथवा मुद्रक को यह महसूस नहीं करने दें कि यह संसद इस मामले को लेकर उद्विग्न है। सोविमत रूस के हमारे मियों के लिए यह उचित नहीं है कि वे इस गलत मानचित्र के प्रकाशन की अनुमति दें। यह बात मेरी समझ के बाहर है। भारत की मित्रता रूस के लिए मूल्यवान है।

हमें किसी भी मामले में अमरीका-परस्त या रूस-परस्त रवैये को अपनाना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि कई अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में रूस और अमरीका दोनों बहुत अधिक निकट आते हैं। अतः रूस परस्त और अमरीका-परस्त रवैया अर्थहीन है।

गलत मानचित्रों का हम विरोध करें। मगर यह कभी भी उचित नहीं है कि हम उन देशों के पास जाकर मिन्नत करें। यह भी उचित नहीं है कि संसद सदस्य दूतावास के सामने प्रदर्शन करें। हम प्रभुत्व-संपन्न देश है। हम में आत्म सम्मान की भावना है। अपनी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं।

अन्त में, मैं भी गलत मानचित्र के प्रकाशन का विरोध करता हूं। मगर मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करता हूं कि वे इस मामलों में किसी खास देश की आलोचना न करें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह देश के लिए गहरी चिंता का विषय है। अगर कोई देश हमारे देश का अपमान करता है, तो हम सब एक होकर उसका विरोध करेंगे।

जब इस मामले की ओर रूसी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, तो उन्होंने उसकी परवाह ही नहीं की। मैं इस समय माननीय मंत्री महोदय और रूसी सरकार को याद दिलाना चाहती हूँ कि जब रूस और चीन के बीच सीमा पर मुठभेड़ हुई थी, तो हमने उस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी, भले ही यह हमारे लिये बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं था। मुझे याद है, उस समय सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने हमारे रवैये की बहुत बड़ी प्रशंसा की थी। यहां इस मामले में भारत सरकार राजनैतिक खेल खेल रही है। यह हमारे देश के लिए बहुत बडी चिंता का विषय है और सोवियत संघ ने इसमें उदासीनता का रवैया अपना लिया है। रूसी विश्वकोश के लेखक ने लिखा है कि यह विश्वकोश सोवियत संघ के आदेश के अनुसार प्रकाशित किया जाता है। सोवियत सरकार सीधे ही आदेश देती है। यह उस सरकार के पूर्ण अधिकार से प्रकाशित होता है। अतः इसमें सरकार की उदासीनता का सवाल ही नहीं उठता। सोवियत सरकार यह समझाने की कोशिश कर रही है कि यह भूल है। यह समझा जा सकता है। मगर मेरा प्रश्न यह है कि यह भारत सरकार क्या कर रही है ? क्या यह बात भारत सरकार को मालूम है कि एशिया के मामलों में रूस की चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि रूस और चीन के सम्बन्ध में काफी तनाव कायम है। इसमें अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। गलत मानचित्र छापने के पीछे एक कारण यह है।

अब यूरोप में तनाव कम हो गया है। सोवियत संघ ने पश्चिम जर्मनी के साथ अनाक्रमण संधि की और इसके साथ सारे यूरोप में शांति का वातावरण कायम हुआ है। रूस का ध्यान अब वहां से हटकर एशिया में केन्द्रित हो रहा है। यहां रूस और चीन के सम्बन्ध का आसपास के सभी देशों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारी निरंतर चेतावनी के बावजूद भी रूस पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। उनका उद्देश्य है चीन और भारत के चारों तरफ के तमाम देशों को हथियार देकर शक्तिशाली बनाना। इससे उन्हें कल नहीं तो परसों जरूर फायदा मिलेगा।

रूस के इस रवैये ने इन भूभागों में तनाव का वातावरण पैदा किया है। यह कोई नगण्य बात नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करती हूँ। मान लीजिए, कल भारत-चीन की सीमा पर कोई मुठभेड़ हुई, तो सोवियत संघ क्या रवैया अपनायेगा ? उनके मानचित्र में भारत के 58,000 कि. मी. के इलाके चीन के भूभाग में दिखाये गए हैं। क्या सोवियत संघ उक्त इलाके को भारत का मानेगा या चीन का ? भारत सरकार के लिए हम से यह बताना बहुत आसान है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सरकार को इस गंभीर मामले की ओर ध्यान देना चाहिए।

सोवियत संघ का यह जानबूझकर किया हुआ कार्य है। इस सदन में कई बार हमने सोवियत संघ के कई कार्यों की एकमत से प्रशंसा की है। मगर यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज वे हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि रूस यह समझे कि मित्र देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

कोई भी देश हमारी परवाह नहीं करता है। लड़ाई के विरुद्ध या अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, मगर यह सच है कि भारत की सीमाओं में तनाव का वातावरण पैदा किया गया है। सोवियत संघ और अमरिका चाहते हैं कि हमारा देश शक्ति सम्पन्न न हो। वे हमें शांति और निरस्त्रीकरण का उपदेश देते हैं और उसी समय हमारे पीठ पीछे पाकिस्तान को हथियारों से लैस कराते हैं। वे पाकिस्तान को शक्तिशाली देखना चाहते हैं। वे हर देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, मगर भारत को नहीं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह सदन की आशंकायें सोवियत सरकार को बता दे। कई मामलों में हम एकमत नहीं हो सके हैं। मगर इस मामले में हमें एकमत से अपनी चिंता प्रकट करनी चाहिए। हम एक स्वर से रूसी सरकार से कह दें कि वह गलत मानचित्र का प्रकाशन बद करे और नहीं तो यह भारत के साथ अमैत्रीपूर्ण व्यवहार माना जाएगा।

श्री तुलसीदास दासप्पा (मैसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री कंवरलाल गुप्त और श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की दलीलें ध्यान से सुन रहा था। मुझे केवल यही कहना है कि कोई भी देश दूसरे का मानचित्र प्राधिकृत ढंग से प्रकाशित करने में असमर्थ है। हमेशा कुछ न कुछ गलतियां होती ही रहती हैं। यह मजेदार बात है कि चीन द्वारा बनाये गए मानचित्र में भारत की सीमा के चित्रण में बहुत ही कम गलतियां हैं। अतः हमें इन चीजों में अत्यधिक उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हमें उनकी कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक बार रूसी मानचित्र में भारत-चीन सीमा के अक्साई चीन इलाके में एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। इसका मतलब था कि रूसी सरकार को भी यह निश्चित रूप से पता नहीं था कि उक्त क्षेत्र भारत का है या चीन का है। हां, हमारा विरोध-पत्र जरूर वहां पहुँच गया है और हमें आशा है कि रूस ने कभी भी इन मानचित्रों के आधार पर कार्य नहीं किया है। मास्को से यह समाचार भी मिला है कि मानचित्र मे गलती आ सकती है अतः कुछ संशोधन आवश्यक होगा।

वैदेशिक कार्य मंत्री ने राज्य सभा में कहा था कि रूसी सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि इसका कोई राजनैतिक महत्व नहीं होता और सोवियत संघ हमारी प्रादेशिक अखंडता को हमेशा मानता है। अतः मेरे विचार से इस विषय में अत्यधिक उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो, श्री कंवरलाल गुप्त इस प्रस्ताव को पेश करने लायक नहीं हैं क्योंकि वे एक ऐसे राजनैतिक दल के सदस्य हैं जिसके लोग साम्प्रदायिकता का विष फैलाने वाले हैं। वे सीमा विवाद आदि छोटी सी समस्याओं में एक राज्य को दूसरे राज्य के विरुद्ध उकसाने का कार्य करते हैं। अतः ये लोग अधिक खतरनाक हैं। दो देशों के बीच तभी मित्रता की भावना पैदा होती है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। जब हम किसी दूसरे देश के साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी वही व्यवहार किया जाना चहिए।

श्रीलंका के साथ भी हमारा कुछ विवाद है, बर्मा के साथ विवाद है। अगर हम इन देशों के साथ लड़ते रहेंगे, तो दुनिया में हमारा कोई भी मित्र नहीं रहेगा। मगर इसके साथ ही साथ मैं सोवियत संघ से प्रार्थना करता हूं कि वे यह समझें कि हमारी सीमा के सम्बन्ध में हमारा अपना तर्क है। मैं उन माननीय मित्रों का साथ देता हूं जिन्होंने इस बारे में चिंता प्रकट की है और मांग की है कि मानचित्र में संशोधन किया जाए। इससे दोनों देशों की मित्रता को और अधिक दृढ़तर बनाया जा सकेगा।

अमरीका, इंग्लैंड आदि देशों ने भी सीमांकन के मामले में हमारे साथ हमेशा उचित व्यवहार नहीं किया है। अतः एक खास देश के विरुद्ध दुश्मनी की भावना पैदा नहीं की जानी चाहिए। रूस ने हमेशा हमारे साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपना लिया है। कई मामलों में रूस ने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है जो कभी भी भूली नहीं जा सकती। हम दोनों का आपसी सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास पर आधारित है। अतः इस एक घटना को लेकर हमारी गहरी मित्रता में कलंक लगाने की कोशिश न करें।

अतः इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं सारे देशों की सद्भावना से अपील करता हूं कि वे गलत मानचित्र में सुधार करें और एक दूसरे के बीच मैत्रीभाव को बनाये रखने का सारा संभव प्रयास करें।

श्री रा. की. अमीन (ढंढ़का) : यह उचित है कि सदन ने इस गंभीर मामले पर विचार करने का निश्चय किया। कुछ सदस्यों ने कहा कि किसी अन्य देश के मानचित्र में कहीं कुछ गलती है तो यह कौनसी बडी बात है। पंडित नेहरू भी कहा करते थे कि यह केवल एक मानचित्र है। इस पर अधिक ध्यान मत दीजिये। अगर उक्त मानचित्र दक्षिण अमरीका जैसे किसी देश ने प्रकाशित किया होता, तो मैं उसकी ओर ध्यान ही न देता। अगर यह कोई ऐसा मामला होता जिसमें हमारे सीमावर्ती इलाकों का हमारे पडौसी देश द्वारा कब्जा करने की कोई संभावना न थी, तो मैं इसकी ओर ध्यान न देता। मगर बात ऐसी नहीं है। चीन के साथ हमारा सीमा-विवाद है। कश्मीर के कुछ भागों पर पाकिस्तान का कब्जा है। क्या नेफा आदि सीमावर्ती प्रदेशों में चीन का कोई खतरा नहीं है ? इस पृष्ठभूमि में मैं इस मामले को गंभीर मानता हूं। इसके कुछ विशिष्ट कारण हैं।

यह मामला गत पन्द्रह वर्ष से चल रहा है। जब सरकार से पूछा जाता है, तो जवाब मिलता है "ऐसा लगता है कि हमने विरोध पत्र भेजा है।" कभी कभी सरकारी प्रवक्ता यह कहते हैं कि "पता नहीं लिखित विरोध-पत्र भेजा गया या मौखिक विरोध व्यक्त किया गया है।" राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सरकार ने कहा कि संभवतः रूस वाले कहेंगे कि "यह क्या तमाशा है कि आप लिखित उत्तर मांग रहे हैं ?" इस मामले में इस प्रकार का रवैया अपना लिया गया है। अतः यह मेरे विचार से गंभीर मामला है।

दूसरा कारण यह है कि जब चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया गया था, तो कहा गया कि वह असल में आक्रमण नहीं था, बल्कि चेकोस्लोवाकिया के कुछ इलाके उसके नहीं थे, किसी दूसरे देश के थे। अतः उन्हें अलग किया गया है। यह एक मनोवैज्ञानिक आक्रमण था। आगे कहा गया कि चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी के संभव अतिक्रमण को रोकने के लिए हमने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया। यह दूसरा मनोवैज्ञानिक आक्रमण था। और उसके बाद श्री ब्रजनेव का सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत लाया गया।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे विदेश मन्त्री सोवियत संघ जैसे मित्र देश से कह सकते हैं कि आपने चैकोस्लोवाकिया पर इसलिए कब्जा किया हैं ताकि पश्चिम जर्मनी उसे हथिया न सके। इस प्रश्न पर रूस मौन रहेगा क्योंकि वह वहां पर अनुकूल मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि बनाकर उस देश को अपने कब्जे में रखना चाहता है। समय समय पर आक्रमण के ढंग बदलते रहते हैं

प्रगतिशील लोग कहेंगे कि प्रगतिशील लोगों के मन में यह धारणा पैदा कर दी जाए कि उनके देश का एक विशेष क्षेत्र उनका नहीं बल्कि किसी और का है तो मुझे भय है इस देश के मामले में भी वही मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। अतः हमें इस विषय में सावधान रहना चाहिये।

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब सरकार का ध्यान रूस की गलतियों की ओर दिलया गया तो रूस को उसकी गलती बताने के स्थान पर ब्रिटेन या अमरीका की गलतियों को सामने कर दिया गया। और जब सरकार ने सोवियत संघ को उसकी गलती की ओर उसका ध्यान दिलाया तो उसने आरम्भ में ही इसे ठीक क्यों नहीं किया। सोवियत संघ को बार बार बताया जा चुका है कि वह सही नहीं है। 1965 में जब शास्त्रीजी प्रधान मन्त्री थे तब रूस ने कोई भी मानचित्र प्रकाशित नहीं किया। 1967 में रूसी मानचित्रों में नेफा को विवादग्रस्त क्षेत्र बताया गया किन्तु बाद में यह क्षेत्र चीन का क्षेत्र बताया गया। अतः सोवियत संघ के इरादों का अनुमान हम शुरु से ही इसके द्वारा किए गए व्यवहार से लगा सकते हैं।

रूस हमारा मित्र देश है तथापि वह मानचित्र में हमारे क्षेत्र को चीन के अधिकार में दिखा रहा है इसके संभवतः दो कारण हैं। रूस और चीन में सीमाओं के बारे में विवाद चल रहा है। चीन ने सोवियत संघ के एक लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को अपना बताया है और सोवियत संघ भारत के क्षेत्र को देकर चीन के साथ किसी समझौते पर पहुंचना चाहता है दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमारी सरकार उसके परामर्श को अपने हित में अच्छा समझती है किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि 1967 के बाद वे कुछ बातें जानबूझ कर कर रहे हैं। हमारी सरकार उनसे स्पष्टतः क्यों नहीं पूछती कि नेफा हमारे क्षेत्राधिकार में है और संयुक्त राज्य संघ ने भी उसे स्वीकार किया है :

जब यह विश्वकोष प्रकाशित हुआ था तो अमरीकी प्रैस ने मई, 1970 में इसकी कटु आलोचना की थी। किन्तु यह सरकार इस मामले में सोई हुई है और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह बहुत चिन्ता का विषय है और इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। जब तक मानचित्र ठीक नहीं किया जाता तब तक हमें यह नहीं कहना चाहिये कि सोवियत संघ हमारा मित्र देश है।

हमारी आर्थिक नीतियों पर रूस का प्रभाव स्पष्ट है। हमारे सरकारी क्षेत्र में रूस महत्व-पूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार ने उनको बहुत अधिकार दे दिए हैं और सम्भवतः सरकार उनके सामने बोल भी नहीं सकती है। हमारे कारखानों में बनने वाले औजार सोवियत संघ की जनता की प्रकृति के अधिक अनुकूल है ताकि भारतीय जनता की पर आप वैसे ही औजार बनाते है जैसे उन्हें चाहिये क्योंकि सोवियत संघ ऐसे निर्देश देता है ताकि वह नगण्य कीमत पर वस्तुएं खरीद सके।

भिलाई को ही लीजिये। वहां हमारी उत्पादन क्षमता 500,000 टन के लगभग है किन्तु देश में इस्पात की खपत 100,000 टन है। बाकी 400,000 टन कहां जाता है उसे आप रूस को बिल्कुल कम कीमत पर बेचते हैं जैसे कि रूस ने भारत में अपनी वस्तुओं के उत्पादन हेतु कारखाने लगा रखे हों।

वास्तविकता यह है कि सोवियत सघ हमारी अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण कर रहा है। जहां कहीं भी रूस के सहयोग से संयंत्र लगाए गये है उन सभी की स्थिति एक समान है चाहे वह भिलाई में हो या बोकारो में। सभी संयन्त्रों में हानि का सामना करना पड़ रहा है। जहां रूसी तकनीशियन है वहां पर वह आपको एक शब्द भी नहीं बोलने देते।

आर्थिक क्या राजनीति के क्षेत्र में भी भारत उनके प्रभाव से मुक्त नहीं है। हमारी विदेश नीति को निर्धारित करने में सोवियत संघ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। मैडय बिन्ह के प्रति किया गया व्यवहार, तथा रबात के प्रति अपनाया गया रवैया क्या सोवियत संघ के प्रभाव से मुक्त था ? हमने यकार्ता सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार इसलिए किया क्योंकि रूस नहीं चाहता था। जिस विषय पर रूस स्वीकृति नहीं देता हम भी उसे स्वीकार नहीं करते। हमारी कोई नीति चाहे वह आंतरिक हो या विदेशी उसे हम रूस की इच्छा के विरुद्ध क्रियान्वित नहीं करते यदि आप इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें तो विदित होगा कि वस्तुतः यह विषय चिन्तनीय है अतः मैं विदेशमन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करे और रूस को उससे अपनी मानचित्र सम्बन्धी गलती को सुधार ने के लिए कहें। यदि वह ऐसा नहीं करते तो रूस को हम मित्र देश नहीं कह सकते।

श्री रा० कृ० सिंह : सोवियत मानचित्रों में जो गलत चित्रण है वह निदनीय है। यदि सोवियत संघ ने कोई गलती की है तो हमें कहना चाहिए कि उसने कुछ गलत कार्य किया है लेकिन कुछ ऐसे तत्व है जो सोवियत संघ की भर्त्सना करते हैं लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका थाइलैंड, ताइवान और स्विटजरलैंड के मानचित्रों की नहीं जिनमें भारत के विरुद्ध प्रतिवर्ष मानचित्रीय अतिक्रमण किया जा रहा है तब इन वक्ताओं का खून नहीं उबलता।

इन महानुभावों की जानकारी के लिए ऐन-साइक्लोपीडिया अमेरीकाना की एक प्रति अपने साथ लाया हूं जिसमें पूरा कश्मीर स्वतन्त्र राज्य दिखाया गया है और इस पर भी ये देशभक्त मौन हैं।

मैं सोवियत संघ की गलतियों की भर्त्सना करता हूं किन्तु श्री मोडी और श्री अमीन के समान नियंत्रण से बाहर नहीं होना चाहता ये सज्जन तो सरकारी क्षेत्र और राजाओं के प्रिवीपस समाप्त करने की भी आलोना करते है ये लोग गरीबों के शत्रु हैं। हम मामलें पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेते हें जो देश के सम्मान के अनुकूल भी हो। ये लोग सगान पिछलग्गूहैं। जब वहां भारतियों की पिटाई हुई तब इनके खून में जोश नहीं आया। ये विदेशियों के पिट्ठू है तथा भारतीय समाज द्वारा तिरस्कृत हैं। अतः ये हमारी विदेश नीति के विषय में भी कुछ कहने के अधिकारी नहीं है।

इन्होंने मैडम बिन्ह को दिए गये हमारे अतिथि सत्कार की भर्त्सना की थी। जब सम्पूर्ण विश्व यह मानता है कि उनका छोटासा देश सर्वाधिक शक्तिशाली देश का मुकाबला कर रहा है, ये महानुभाव मैडम बिन्ह की आलोचना कर रहे हैं। यह चाहते हैं कि ताइवान को मान्यता दी जाये किन्तु जर्मन गणतन्त्र, जिसका अपना संविधान है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसको मान्यता देने के समय यह कुछ अशान्त हो जाते हैं यह जन सघ जो आज राष्ट्रीयता की नुमाईश कर रहा 1943, 1945 और 1946 में स्वतन्त्रता की बात सोच नहीं सका।

आप लोग गांधीजी की बात करते हैं आप लोग ही तो गांधीजी के विचारों के हत्यारे हैं 5 अक्तूबर, 1969 को 'न्यूयार्क टाइम्स' में गांधीजी के विरुद्ध एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसकी भर्त्सना वहां उपस्थित 5 कांग्रेसी सदस्यों द्वारा की गई थी किन्तु यह लेख इम्प्रिट इस देश में प्रकाशित किया गया। इन महानुभावों ने इसके विरोध में एक वक्तव्य भी जारी नहीं किया मैं इनके सिद्धान्तों को अच्छी तरह जानता हूं।

श्री रा. वी. अमीन : श्री सिन्हा ने मेरे बारे में कुछ कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई विशेष बात नहीं है।

श्री शिवनारायण : * *

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा।

श्री एस. कडप्पन : उपाध्यक्ष महोदय चाहे हम इसे पसंद करें अथवा नहीं किन्तु किसी देश का अन्य देशों पर प्रभाव मूलतः उस देश की आर्थिक शक्ति पर निर्भर करता है। इस दृष्टि-कोण से देखने पर हमें मानना पड़ेगा कि हमारे देश का सम्मान उतना नहीं है जितना हम सोचते है। यह विचार हमारे व्यर्थ के अभिमान को भले ही संतोष प्रदान करे कि कुछ क्षेत्रों में हमारा बहुत प्रभाव है किन्तु स्थिति ऐसी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन परिस्थितियों में वैसा ही रुख अपनाया है जैसा कि एक अल्पविकसित सरकार को अपनाना चाहिए था। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमारे कुछ पड़ौसी छोटे देशों ने अपनी राजनयिकता बेहतर ढंग से निभायी है और हम से अधिक ठोस रूप में सफल हुए हैं। मैं अपने विरोधी मित्रों से अनुरोध करूंगा, विशेषकर उनसे जो समाजवाद की घोषणा करते रहते हैं कि साम्यवादी अथवा समाजवादी देशों द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उसे लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण से देखें।

रूस के साथ आजकल जो हमारे सम्बन्ध हैं उसे कम नहीं किया जा सकता। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम वास्तविकताओं की ओर आंखें मूंदे बैठे रहें।

हमारे देश पर जब चीनियों ने आक्रमण किया था उस समय श्री ख्रुश्चेव ने यह कहा था कि चीन हमारा भाई है और भारत हमारा मित्र।

भारत–पाक युद्ध के पश्चात क्या हुआ था यह बात अभी हम भूले नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब कभी कश्मीर का मामला उठा तो सोवियत संघ हमारे पक्ष में पाकिस्तान के विरोध में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया करता था किन्तु बाद में रूस ने पाकिस्तान का खुल्लम-खुल्ला समर्थन किया।

जहाँ तक रूसी नक्शों में भारत के क्षेत्रों को चीनी क्षेत्र दिखाने के प्रश्न का सम्बन्ध है यह कहकर संतोष करने में कोई लाभ नहीं कि सोवियत संघ आखिर हमारा मित्र देश है और राजनयिक स्तर पर बातचीत से स्थिति में सुधार हो जाएगा। हमें ऐसे मामलों में कठोर एवं

कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

स्पष्टवादी बनना होगा । यदि हम इसी विचार पर संतुष्ट रहें कि ऐसी बातों पर हमें कभी कोई कार्यवाही नहीं करनी है क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है तब तो कोई भी देश हमारा सम्मान नहीं करेगा चाहे वह रूस, अमरीका अथवा ब्रिटेन हो ।

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने कहा है कि मानचित्र का प्रश्न बहुत मामूली बात है हमें इसे व्यर्थ में बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे स्मरण है बाद में 1965 में चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान बहुत कोलाहल हुआ था और श्री भगवत झा आजाद जो उस समय मंत्री थे यह प्रस्ताव रखा कि हमें राष्ट्रमण्डल से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि इंगलैंड के समाचार पत्र पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे । यदि मानचित्र को लेकर इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है तो प्रचार के मामले में भी यह कहा जा सकता है कि यदि कोई देश आपके विरुद्ध प्रचार कर रहा है तो आप उसकी चिन्ता क्यों करते हैं । अन्ततः हमें अपनी शक्ति पर निर्भर करना है । किन्तु यह कहना व्यर्थ होगा । प्रश्न चाहे मानचित्र का हो या प्रचार का हम चुप नहीं बैठ सकते । यह एक अत्यंत गंभीर मामला है मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह इसे इसी दृष्टिकोण से देखें ।

मैं यह महसूस करता हूं कि सोवियत नीति में वास्तव में परिवर्तन हुआ है । मैं यह नहीं समझता कि उन्होंने हमें दूर हटाना चाहा है या हमने उनकी मित्रता खो दी है । चाहे नक्शों के अतिक्रमण का मामला हो या अन्यथा संसार हमारी परवाह नहीं करता । अभी भी समय है कि हम अपना रास्ता बनाने का प्रयत्न करें ।

एक और महत्त्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा । जिस सम्बन्ध में सरकार कसूरवार है । मुझे याद है कि इसी सदन में डा. लोहिया ने इस देश में ही छापे गये नक्शों का प्रश्न उठाया था । उस समय श्री चागला मन्त्री थे । उन्होंने कहा कि भूतल-मानचित्रण स्पष्ट नहीं और इस सम्बन्ध में गवेषणा आदि कार्य भारतीय सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है ।

अतः भारत सरकार स्वयं इन मौलिक समस्याओं के प्रति उदासीन है और जैसा कि बताया गया था उस समय तक यह चिंता नहीं करती जब तक हमारी सीमाओं पर शत्रु न हों । परन्तु यह बातें उस समय सावधानी बरतने की हैं जब अतिक्रमण हो चुका है, सीमा विवाद है और हमारी सीमाओं पर शत्रु हैं ।

मैं अपने उन विपक्षी मित्रों से, जो यह समझते हैं कि सोवियत दोस्ती हमारी सहायक होगी यह कहूंगा कि इससे हमें सहायता नहीं मिलेगी । सोवियत रूस या संसार के किसी अन्य देश को यदि हमने यह विचार बनाने दिया कि हम असहाय हैं, हम बेकसूर है, थोड़ी सी दया करके हमें जीता जा सकता है या हम भलाई बुराई सोचने योग्य नहीं है तो हमारे साथ इस प्रकार की बातें होती रहेंगी । इसी दृष्टि से हमें इस विषय पर विचार करना है ।

Shri Bhogendra Jha. (Jainagar):—Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of communist party of India I want to make it clear that we consider the map published by the Govt. of India as correct. We do not recognise any other map whether it is published by any friendly country or by an unfriendly country.

I have also herad certain members speaking here.

{ श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair* }

Are we to draw this conclusion from their speaches that the policy of Soviet Union toward us is changing ?. Some poeple can think like that. When the Soviet Union published this map in 1956 the Govt. of India raised objection to it. There have been four objections during the last 15 years. I would like the foreign Minister to clarify whether the map published by the Soviet Government is a new one or is a reprint of the old map ?. (**Interruption**) When this map was printed for the first time the present peoples democratic Government had not been established in China (**Interruption**).

Shri J. B. Kriplani (Guna) : I wanted to say that there was communist Government in China in 1956.

Shri Bhogendra Jha : At the time of Chinese attack certain people wanted us to withdraw from Kashmir on the plea that we have to fight against the principles of communism and Shri Kriplani was one of them. At that time we said that we have a border dispute and we are not fighting against communism (**Interruption**).

I would like to know whether Chen Chang Valley, which is claimed as Chinese territory by that Government is shown as Indian Terriotry in this Soviet Map ?. If it is an old map of China I would like the Foreign Minister to make it clear becuase that would remove the impression that Russian policy towards India is changing. I would like to know whether it has been the policy of the Soviet Union that it would not publish any new map so long there is dispube between India and China ?. I would also like to know whether the map of the present communist Chinese Government differs from that of old map of the regine of Chiana Kai-Shek ?. If so, it is a matter of concern. There can be now two opinions about this.

But what is meant by raising this point today. Perhaps Jan Sangh wants that the Government should stop cultural ties with U.S.S.R.. I thinkthis is un-Indian. Indian continent is being presented in a distorted manner by major imperlistic powers. For the last 23 years America and U. K. are bent upon saying that Kashmir is not a part of India. American Government does not show Goa as part of India. We do not have any border dispute whth Portugal. But members have been mentioned this fact.

Our friend from Swatamtra Party has attacked industrial development in this context. We know it is not re le-vant in this regard.

So as the question of map is concerned this house should unanimously approve of the Indian map. I would again request the Foreign Minister to show to this house the maps published by various countries of the world especially by USSR, USA and U. K.

Shri Ranjeet Singh (Khalilabad) : We are discussing today Soviet maps and not other maps.

Shri Bhogendra Jha : This is the reason that I want to say the country as well this house should consider who are our friends and then help in the formulation of policies.

With these words I appose the original motion and support the motion put forward by Shri Banerjee.

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : श्री कंवरलाल गुप्त के निरनुमोदन प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि भारत और चीन के बीच अन्तिम समझौता होने तक रूसी सरकार पुराने नक्शों को ही छापना चाहती है। अब यदि हम भारत सरकार या कोई अन्य यह मांग करे कि सोवियत सरकार नये नक्शे छापे तो इसका अर्थ यह है कि सोवियत रूस इस बात का निर्धारण करे कि कौन भाग हमारा है और कौनसा चीन का है। यदि रूस सोचता है कि यह काम उसका नहीं। यह हमारा और चीन का आपसी का मामला है और हमारा फैसला होने तक वह पुराने नक्शे ही छापता रहना चाहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं। परन्तु इस प्रस्ताव के पीछे तो कुछ और ही बात है। वह यह है कि जब हमारा और चीन का सीमा-विवाद है तो वे सभी देश जो हमारे साथ मित्रता के सम्बन्ध रखना चाहते हैं सीमा के सम्बन्ध में वे हमारी बातों को स्वीकार करें और अपने नक्शे हमारे मत के अनुसार छापें अन्यथा उनके साथ हम कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे। इस सिद्धान्त के अनुसार तो चीन और रूस तो क्या संसार के किसी भी देश के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध नहीं हो सकते।

जो माननीय सदस्य गुस्से में दहल रहे थे वे यह दिखाना चाहते हैं कि सोवियत संघ के प्रति उनका द्वेष नक्शों में अतिक्रमण के कारण से है। परन्तु ऐसा नहीं। परन्तु इसका कारण सोवियत संघ के प्रति उनका राजनैतिक एवं सैद्धांतिक द्वेष है। इस नक्शे के प्रति उनका गुस्सा सीमाओं के प्रति भावनाओं के कारण भी नहीं है। चांग काई सेक सरकार ने भी इसी प्रकार के कई नक्शे छापे। परन्तु इन महानुभावों का अपनी सीमाओं के प्रति प्रेम तब कहां छिप गया था ? इन नक्शों के प्रश्न पर जो लोग सोवियत संघ के साथ मित्रता सम्बन्धों को शक से देखते हैं वही लोग चांग काई शेक सरकार के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की बात करते हैं।

कुछ मित्रों ने कहा कि अमरीकी सूचना केन्द्र ने अपने प्रकाशनों में काश्मीर को भारत के अंग के रूप में नहीं दिखाया। उस समय यह लोग कहां थे ?

मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि विभिन्न देशों द्वारा छापे गये नक्शों में इस प्रकार की स्थिति का कारण हमारे और चीन के मध्य विवाद का होना है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने चीन सरकार को लिखा था कि इस प्रश्न को मध्यस्थता में देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं। यह बात विवाद की विद्यमानता की पुष्टि करती है। इसी संदर्भ में अन्य देश यदि पुराने नक्शों को बदलना नहीं चाहते तो उनका क्या दोष ?

हमारे देश और चीन के बीच विवाद को अन्तिम रूप से निपटाना ही इस समस्या का वास्तविक हल है। इस पर इस ढंग से विचार न करके सरकार इसके प्रति गलत रुख अपना रही है। बाहर से आने वाले इस प्रकार के नक्शों को सरकार काला कर देती है। इससे क्या यह समस्या हल होगी ?

हाल ही में सरकार ने इस प्रकार के नक्शों को जब्त करना शुरू किया है। रूस तथा चीन विरोधी प्रतिक्रियावादी लोगों के सामने यह केवल झुकना मात्र है। सरकार इनका सामना करे और चीन के साथ विवाद निपटाने में पहल करे। इससे ठीक नक्शे अपने आप तैयार होने लगेंगे।

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : Mr. Chairman, Sir. I have seen that during last twenty years in this country every body had tried to stick to the chair and no body had cared for the map or integrity of the country. Indians in other countries are ill treated but our Government do not pay any attention to it. America and switzerland published wrong maps but we never gave any importance to that. China also did the same thing and our Government said that the land occupied by China is barron and nothing can be grown there. Is there any other country in the world whose map had been disturbed like that ? But our Government is sleeping. The hon-our of this country is not safe in the hands of the Government as such the people of the country should try to throw this Government' With this I also want to say to America and England that the sons of India know how to protect the honour of Mother India.

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) : Mr. Chairman, Sir, there is now two opinions about this fact that in the maps published in Russia during the last so many years the area of India had been shown wrongly. India protested so many times for the same.

My friend Shri Kanwar Lal Gupta put a great stress on the publishing wrong maps by Russia but he did not even mentioned that U. S. A. and England also published wrong maps and depicted Indian areas as part of Pakistan. No body from the side of Jan Sangh and swatantra asked to correct the maps of those countries.

I want to say that a conspiracy is going on in India to make her enemy of all the countries of the world. On the other hand our Government want to continue friendship with freindly countries like Russia but that too also not at the cost of national honour and national interest. To day America considers Goa a part of Portugal and Kashmir an independance state. If any body publishes a wrong map we will surely protest and will not leave that part of our country.

I would like to say one thing that against the wishes of reactionary powers we are not going to break our friendly relations with Russia because she has been on our side. On many occassions but we are one so far as the wrong publishing of Indian maps is concerned we should raise that question at the highest level and should ask them to change wrong maps.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) Mr. Chairman, Sir, I fully endorse the views of the ruling party and other friends that we should surely protest against the countries who publish wrong maps of India. We should have friendship with our neighbour countries but that can not be maintained at the cost of our national honour. Russia promised India that we will help her when ever any other country invade her. But we all know what happened at the time of Chines invasion. They are adopting the same attitude in the case of Kashmir.

The second thing I would like to point out that Russia in past also published wrong maps and now again they have done the same thing.

When the representation of B. B. C. can be asked to leave India on account of representing India wrongly, why is Government of India siting silent on this mischievous propeganda of Moscow Radio.

I have come to know that Russia interfers even in our internal matters. Suggestion came from Russia at the time of the death of Late Dr. Zakir Husain for the appointment of next President and also for the selection of chief of Army staff and chief Justice. Though I do not believe this, but if this is the sate of affair and if there is

even a list of truth in it, it will be just to sell our independence. The Russian maps were banned but that was done only when this matter was raised in Parliament. If it would have been done earlier, we woule have not brought this question in Parliament...

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : सभापति महोदय, ऐसा समझा जाता है कि सोवियत संघ के साथ हमारी मित्रता बढ़ रही है। यदि ऐसा है तो यह हमारे लिए खुशी की बात है। परन्तु क्या मन्त्री महोदय मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। 1967 तक, यद्यपि सोवियत संघ ने समूचे नेफा और अक्साई चिन को चीन का भाग दिखाया है। जब उन्होंने सीमांकन किया था तो उस पर एक नोट लिखा गया था जिस पर लिखा हुआ था कि "यह विवादग्रस्त सीमा है।" आज नक्शों में यह नोट भी नहीं दिया जा रहा है। हमारा वैदेशिक कार्य-मंत्रालय इस बात से अवगत था। क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि संसद से तथा भारत की जनता से इस तथ्य को क्यों छुपाया जाता रहा है ? मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि रूस ऐसी बातें अनजाने में नहीं कर रहा है। भारत के प्रति उसकी नीति में अवश्य परिवर्तन हुआ है। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री समर गुह (कंटाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संसोपा के बाद प्रसोपा का नम्बर आता है। आज ऐसा भेदभाव क्यों ?

सभापति महोदय : आप इसी प्रकार के रिमार्क देते हैं।

श्री समर गुह : * *

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा। श्री हेम बरुआ

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) सोवियत संघ द्वारा मानचित्रीय अतिक्रमण सम्बन्धी चर्चा ने हमारी भावनाओं को उत्तेजित कर दिया हैं। परन्तु मेरा विचार है कि इस मामले का उचित रूप से अध्ययन किया जाना चाहिये। इस मानचित्रीय अतिक्रमण के आधार पर देश में कोई भी सोवियत विरोधी अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए। ऐसा कहने से मेरा तात्पर्य यह भी नहीं है कि सोवियत संघ के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं कि मानचित्रीय अतिक्रमण सदा भौगोलिक आक्रमण का पूर्वाभास हुआ करता है। 1962 में हमारे देश पर चीन का आक्रमण इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है।

जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है, संयुक्त राज्य अमेरीका और संयुक्त राज्य संघ द्वारा भी मानचित्रीय अतिक्रमण के उदाहरण मिलते हैं और हम उसका कड़ा विरोध करते रहे हैं। अतः अब भी हमें सोवियत संघ को कड़ा विरोध-पत्र भेजना चाहिए। हम विश्व के सभी देशों के साथ मित्रता करना चाहते है परन्तु केवल समानता के आधार पर हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई हमारा निरादर करे और हम मित्रता करते जायें।

* * कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने वकालत की है कि हमें इस मामले के सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ लड़ाई करनी चाहिये। यह सुझाव बिलकुल ही ऊटपटांग है, क्योंकि हम उनके विरुद्ध लड़ाई करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन हमें सोवियत संघ के साथ मानचित्रीय युद्ध जारी रखना चाहिये। यदि सोवियत संघ इन मानचित्रों में संशोधन करने से इन्कार करे तो सरकार को ऐसे मानचित्र प्रकाशित कराने चाहिये जिनमें रूस के क्षेत्र को अफगानिस्तान, रूमानिया, हंगरी या चीन का भी क्षेत्र दिखाया जाय। कहने का तात्पर्य यह कि हमें रूसी नेताओं को यह महसूस करना देना चाहिये कि भारत भी ऐसा कर सकता है, वह उनका सदा के लिए नहीं हो गया।

आपको याद होगा कि 1967 तक सोवियत संघ नेफा की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को एक विवादग्रस्त क्षेत्र मानता था लेकिन 1967 के बाद यह स्थिति विपरीत हो गई। अब अकसाई चीन और नेफा को चीन का क्षेत्र दिखाया गया है। मेरा विचार है कि अब सरकार को यह मामला सोवियत संघ के साथ पूरे साहस के साथ उठाना चाहिए और उसे सही मानचित्र प्रकाशित करने के लिए मजबूर करना चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री जी. भा. कृपलानी (गुना) मैं भी आप लोगों की तरह उंचें बोल सकता हूँ। आप व्यवस्था का नहीं वरना अव्यवस्था के प्रश्न उठा रहे हैं। मानचित्रों का प्रश्न एक नई बात नहीं है और न ही यह हमारे सामने एकदम आया है। इस प्रकार के मानचित्र हमारे सामने 1949 से आ रहे हैं। जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और उनके क्षेत्र पर अधिकार किया तो उस समय सरदार पटेल ने पंडित नेहरू का ध्यान चीन के इस इरादे की ओर आकर्षित करते हुए लिखा था। पत्र में कहा गया था कि चीन भारत के विरुद्ध आक्रमण करेगा और भारत को सतर्क रहना चाहिये परन्तु हम सतर्क नहीं रहे।

इसी प्रकार जब जवाहरलाल नेहरू ने चीन से की गई संधि को लेकर इस सभा में आये तो भी हमने उनसे पूछा कि क्या आपने चीन के साथ मानचित्रों के विषय में कोई बातचीत की थी। पंडित जी ने इसका स्वीकारात्मक उत्तर दिया था और साथ में यह भी कहा था कि चाऊ-एन-लाई का उत्तर है कि ये मानचित्र पुराने हैं। अब प्रश्न यह है कि हम इन मानचित्रों से चिंतित क्यों हैं क्योंकि इन मानचित्रों के कारण ही चीन ने आक्रमण किया था। इन मानचित्रों के आधार पर यह उचित भी था क्योंकि चीन ने पहले ही मानचित्रों में इन क्षेत्रों का दावा किया था।

हमें मालूम है कि जब चीन का आक्रमण हुआ था तो क्या हुआ था। सोवियत संघ जो हमारा परम मित्र है उसने कहा था कि यह भाई तथा मित्र का प्रश्न है। उसका कहना था कि चीन हमारा भाई है और भारत हमारा मित्र अतः हम इस सम्बन्ध में उचित ढंग से ही कार्य करेंगे। इसी प्रकार अब भी जो कुछ किया जा रहा है, उसके बारे में हमें आशंका है। हमारे बताये बिना ही कि यह क्षेत्र विवादाग्रस्त है, इनका मुद्रण अपने नवीनतम अधिकृत विश्वकोष में किया गया है। किसी भी व्यक्ति को हमारे ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिये कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति में परिवर्तन इसलिए नहीं हो जाता कि उसकी ग्रहनीति में परिवर्तन हो चुका है। पाकिस्तान अपनी नौसेना के साथ क्या करेगा ? सागर क्षेत्र में पाकिस्तान का कोई भी

शत्रु नहीं है । जहां तक सागर का सम्बन्ध है वहां भारत ही उसका एकमात्र शत्रु है और यही बात भूमि क्षेत्र में भी सत्य है । अतः अब हम यह समझने में असमर्थ हैं कि सोवियत संघ पाकिस्तान को नौसैनिक सहायता क्यों दे रहा है । यदि हम सोचते हैं कि रूस पाकिस्तान का विरोध कर रहा है तो इसका अभिप्राय यह है कि हमने यूरोप के इतिहास को नहीं पढ़ा है । रूस का सदा यही प्रयत्न रहा है कि वह उष्णकटिबन्ध जल में एक अड्डा बनाए । यूरोप में यह भूमध्य सागर है और एशिया में हिन्द महासागर ही रहा जाता है जहां रूस ऐसा कर सकता है । इसका मार्ग पाकिस्तान से होकर जाता है । सोवियत संघ पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ होगा और भारत सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर सकेगी क्योंकि वह अरब सागर में एक अड्डा स्थापित करना चाहता है । आज जिस प्रकार जिंदा रह कर मैं जवाहरलाल नेहरु की गलतियों के नतीजे देख रहा हूं, आप उसी प्रकार वह दिन भी देखेंगे कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा ।

डा. कर्णी सिंह (बीकानेर) : भारत पर सोवियत मानचित्रीय आक्रमण के कारण, हमारे देश का जो अपमान हुआ है, उसकी लहर सम्पूर्ण देश में गूंज गई है । आज वास्तविकता यह है कि भारत की गुट निरपेक्ष नीतियां मजाक बनती जा रही हैं और हम दिन प्रतिदिन सोवियत संघ की ओर खिचते चले जा रहे हैं क्योंकि जब कभी भी सोवियत संघ की बात आती है तो भारत सरकार इसके प्रति नरम रवैया अपनाती है ।

राज्य सभा में अपने वक्तव्य में वैदेशिक कार्य मंत्री श्री स्वर्ण सिंह ने कहा है कि सोवियत संघ को इस बारे में पत्र लिखना कठिन नहीं है और सम्भवतः वह हमें नकारात्मक उत्तर भी न दे, परन्तु अभी तक हमने उन्हें पत्र नहीं लिखा है कि वह कहीं इन्कार न कर दे ! मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि हमारा मामला जोरदार है और सोवियत संघ सरकार भी भारत के इस दृष्टि-कोण की सराहना करती है तो फिर इस मामले को तीव्रता से लेने में क्या कठिनाई है ? इतना होने पर भी हमें यदि नकारात्मक उत्तर मिलता है तो हम सोवियत संघ को कड़ाई के साथ अभ्यावेदन भेज सकते हैं जिसमें उसे स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या दो राष्ट्रों के बीच मित्रता बनाने का यह ढंग नहीं है ।

विश्वकोष के आमुख से यह बिलकुल स्पष्ट है कि मानचित्रों को सोवियत संघ सरकार की स्वीकृति प्राप्त है । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि यह गलती से तैयार किए गए हैं । इन मानचित्रों को जानबूझकर बनाया गया है ताकि चीनियों को पाकिस्तान से भारत के बन्दरगाहों तक पहुंचने के लिए मार्ग मिल सके । हमें यह पूर्णतया समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे एक चाल है । हमें इस देश की मित्रता से सतर्क रहना चाहिये ।

यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि सोवियत संघ की तरह का समाजवाद यदि लाया जाये तो हमारा देश कभी लोकतन्त्र की ओर अग्रसर नहीं हो सकेगा । हमारी सरकार को इस तथ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि केवल लोकतान्त्रिक देशों में ही कुछ न कुछ समानता है और जब तक भारत साम्यवादी देश नहीं बन जाता, तब तक सोवियत संघ के साथ हमारी समानता नहीं हो सकती ।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : मैं विषय पर बोलने से पहिले यह बताना चाहता हूं कि मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है । यह चीज रिकार्ड में जानी चाहिये ।

जहाँ तक सोवियत सरकार द्वारा नक्शे छापने में गलती करने का प्रश्न है ऐसी गलतियाँ अन्य दूसरे देशों द्वारा भी की गई हैं। इन देशों के नाम हैं, ब्रिटेन, स्विटजरलैन्ड तथा स्वीडन आदि ऐसी गलतियों को आपस में पूछताछ करके ठीक करा लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरीका ने कश्मीर को भारत का अंग नहीं दिखाया है। उन्होंने 'जम्मू और कश्मीर' से 'जम्मू' नाम भी निकाल दिया है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र सूचना सेवा ने कश्मीर को एक अलग राज्य मान रखा है। श्री बलराज मधोक ने अपनी पुस्तक 'न्यू एलाइन्मेंट्स इन कश्मीर' में कहा है कि बदवाह तथा जम्मू के अन्य दूसरे भाग हिमाचल प्रदेश में मिला दिये जायें। इन्होंने कश्मीर घाटी को भुला दिया है। अमरीकी भी ऐसा ही कर रहे हैं।

इस बात का विश्वास नहीं किया जा सकता कि अमरीका वालों को पता नहीं था कि जम्मू और कश्मीर राज्य 1947 में भारत का अंग बन गया था। ये लोग हमारे सम्मुख कठिनाइयाँ पैदा करना चाहते हैं। इसके साथ ही अमरीका वालों ने रूस के विरुद्ध रावलपिन्डी में एक अड्डा बना रखा था अब वह समाप्त हो गया है। क्या अब वे अपना अड्डा कश्मीर में बनाना चाहते हैं ? क्या हमारे देश को भी ये लोग वियतनाम बनाना चाहते हैं ?

हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। हम 1947 में स्वतंत्र हुये। हमारा देश अविकसित देश था। अतः हमें सर्वप्रथम अपने देश के विकास की ओर ध्यान देना था उसके लिये राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पड़ी। देश के विकास के लिये यह आवश्यक था कि विश्व में शान्ति रहे और इसी उद्देश्य से हमने तटस्थ रहने की नीति अपनाई। क्या विश्व में शान्ति है, यदि नहीं तो अशान्ति का जन्मदाता कौन है ? कोरिया, वियतनाम और कम्बोडिया में अमरीका वालों ने कठिनाइयाँ पैदा की हैं।

सोवियत संघ ने कश्मीर और गोआ के मामले में वीटो का प्रयोग करके हमारी सहायता की है। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हम अपने ऐसे मित्र देश को भी रुष्ट कर दें। हमें विश्व शान्ति के लिये प्रयत्न करने चाहिये, छोटी छोटी बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये।

श्री रा. ढो. भण्डोर (बम्बई–मध्य) : इस सम्बन्ध में हमें वास्तविक स्थिति तथा 1954 के पश्चात की परिस्थितियों के परिवर्तन की ओर ध्यान देना चाहिये। साम्यवादी संसार के दो ही क्षेत्र हैं और वे दोनों भी आपस में झगड़ रहे हैं।

रूस के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के बावजूद भी हमने रूस को विरोध-पत्र भेजा है। इस तथ्य के रहते हुए भी कि हम क्षेत्रीय शान्ति बनाये रखना चाहते हैं, सरकार ने इन मानचित्रों के प्रकाशन के विरुद्ध रूस सरकार को कड़ा विरोध-पत्र भेजा है।

वास्तव में यह निन्दनीय है कि अनेक देशों ने भारतीय सीमाओं के प्रति राजनीतिक रवैया अपनाया है। सरकार को इस पहलू को भुलाना नहीं चाहिये। सरकार को अपनी स्वतंत्रता और अपने सम्मान के मूल्य पर खुश करने की नीति का अनुसरण नहीं करना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Cartographic aggression against India by Soviet Russia is a serious matter and deserves a serious consideration. We are really grateful toRussia for the help and assistance provided during last twenty years. But it does n o tmean that Russia may publish maps to show 40,000 Sq. miles of Indian territory as a partof China. It cannot be ignored that this act of Russia is absolutely unfriendly to In dia.

The matter should be discussed at the highest level and the soviet Union be met to realise that this was really a mistake committed by them. They can not play with Indian interest in or der to please China. Sovient Union should be apprised of the Indian sentiments and the errors committed be corrected or ractified.

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : This is an important matter as it involes the territo rial integrety of our country. But it is shocking that the ruling party has tried to make it a political stunt of the opposition.

We should not forget Chinese aggression of 1962. Chinese had also played such a trick prior to their aggression on our country. They had also published such maps in which Indian territory was shown as part of China. Government should take a serious view of the matter and strongly protest against this unfriendly act.

Governments indecisive policy is responsible for all this. It should be strongly condemned and vehiemently denounced ?

We want to solve the problem by peaceful means. Therefore, it is necessary to mobilize public opinion around us. We have been a failure in this regard because our diplomatic efforts are nil. We did not take the matter to U. N. O. **(Interruption)**

We did not move to the internation court. We have always been sleeping over the matter. Such a policy of the Government is really deplorable. Soviet union be made to appologise for this unfriendly act ?

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : Pakistan has forcely occupied, 12,000 sq. miles of our land in Kuch and China has also usurped thousands of miles of our land and the Govt. did not do anything against them. Can we expect any strong action from such a Government only on cartographic aggression ? Soviet union is a powerful nation. This weak Government of our country can not make a strong protest against mischeviour action of Soviet union.

The existing governmeht is not true to the country. They are only after the chair. They think that their chair is preserved at the pleasure of Russia. Therefore I appeal to all the democratic and patriotic parties to unite and dethrown the present Government.

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Chairman Sir, all the hon. Members have first experiences that it is a cartographical agression if only territory of India in shown as party of China or Pakistan in the maps whether that is published by China or Soviet Union. I request the members who have supported me to read my amendment I read it:-

"In view of the Government of India's action to ban those U. S. S. R. maps which show lage chunks of Indian territory as part of China recommends to the Government to ban or suitably black out all such maps published by froeign countries where in any Indian territory has been shown as either diputed or in China or Pakistan."

I request all the hon. members to accept this amendment. If the Government have not taken any action then I request hon. members to condemn them. No country should show wrong boundaries of our country in their maps.

* **श्री पीलु मोदी** (गोधरा) : यह संशोधन सदन में की गई चर्चा में परिवर्तन करता है अतः इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। **(व्यवधान)** वह इस प्रकार का दूसरा संकल्प प्रस्तुत करें ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सदन के सभी माननीय सदस्य, जो विभिन्न दलों के हैं, रूसी विश्वकोष में निरंतर भारत के भाग को गलत दिखाये जाने का निरनुमोदन करते हैं वैसे चर्चा के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा विभिन्न तर्क प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु भारत-चीन सीमा के गलत दिखाये जाने पर सभी सदस्य एकमत हैं क्योंकि यह विषय हमारे हितों के विरुद्ध है अतः हम सब यह कहने में एकमत हैं.....

{**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker : *in the Chair*}

..... कि इसमें सुधार किया जाना चाहिये ।

श्री कंवरलाल गुप्त का मूल प्रस्ताव यह है ;

"कि यह सभा रूसी विश्वकोष में भारत के बहुत बड़े राज्य क्षेत्र का चीन का हिस्सा दिखाये जाने पर सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ सरकार को विरोध पत्र न भेजने की सरकार की कार्यवाही का निरनुमोदन करती है।"

उनके इस प्रस्ताव से स्पष्ट है कि सरकार ने रूस सरकार को विरोध पत्र नहीं भेजे और उनके समक्ष अपने दृष्टिकोण रखने में निष्क्रिय रही है तथा वास्तविक प्रस्ताव के ये ही शब्द हैं ।

इस भारत-चीन सीमा का नक्शों में गलत दिखाया जाना भारत सरकार के लिये चिन्ता का विषय है। वर्ष 1956 से सरकार इस विषय पर रूस सरकार का विरोध करती रही है। इसके अतिरिक्त दिल्ली तथा मास्को स्थित राजनयिकों के जरिये कई मौखिक अभ्यावेदन भी भेजे गये। वर्ष 1956, 1958, 1966 और 1968 में लिखित अभ्यावेदन भी रूस सरकार को भेजे गए। 1 इंच से 70 मील तक के पैमाने के भारत सर्वेक्षण के नक्शे भी रूस सरकार को सप्लाई किये गये हैं। इस प्रकार सरकार इस प्रश्न पर रूस सरकार का बराबर विरोध करती रही है। इस मामले में सरकार को निष्क्रिय कहना गलत है। इस प्रस्ताव का जो आधार है वह यह है कि श्री कंवरलाल गुप्त ने संभवतः सोचा कि सरकार ने लिखित रूप में कुछ भी नहीं भेजा।

हमारे मौखिक तथा लिखित अभ्यावेदनों के उत्तर में रूस सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि इन नक्शों की कोई राजनीतिक महत्ता नहीं है तथा वे भारत के राज्य क्षेत्रों का सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि वे इस मामले की और जांच करेंगे।

इन नक्शों को लेकर संसद में जो भावना महसूस की गई है उसे रूस सरकार तथा नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास तक पहुँचा दिया गया है ।

प्रस्ताव का आधार यह है कि सरकार ने रूस सरकार तक किसी रूप में भी नक्शे के मामले को नहीं पहुंचाया । प्रस्ताव के इस आधार के उत्तर में मैं यह सब उल्लेख कर रहा हूँ तथा मेरे द्वारा दी गई इस सही जानकारी के आधार पर इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये ।

मैं इन नक्शों का इतिहास बता रहा हूँ । रूसी नक्शों तथा एटलसों में भारत-चीन सीमा का चित्रण चीनी रेखा का विस्तृत अनुसरण है । पीपल्स चीन द्वारा 1953, 1956 और 1962 में प्रकाशित नक्शों में दिखायी गयी रेखा के बजाय ये नक्शे बहुत कुछ 1947 से पूर्व की कुओमिन्तांग रेखा के अनुसार हैं । रूसी नक्शों में चांग चेनमो घाटी को भारत में दिखाया गया है जब कि चीनी साम्यवादी नक्शों में कराकुर्रम दर्रे की रेखा से दमचौक और आगे पश्चिम तक भारत का बहुत सा भाग चीन के अन्दर दिखाया गया है । इस अपवाद के साथ रूसी नक्शे सीमा की चीनी रेखा के अनुसार हैं ।

मैं सदन के ध्यान में यह भी ला रहा हूँ कि सभी रूसी नक्शों तथा एटलसों में जम्मू तथा कश्मीर को पूर्णतया भारत के अन्दर दिखाया गया है ।

यह एक सर्वविदित ऐतिहासिक तथ्य है कि स्वतन्त्रता से पहले अंग्रेजों तथा चीनियों के बीच विवाद के समय उन्होंने एक विशेष रेखा अपना ली थी तथा उसी की पुनरावृत्ति करते रहे हैं । इससे स्थिति सही रूप से चित्रित नहीं होती है अतः इस मामले पर सोवियत संघ का केवल मौखिक रूप में ही नहीं बल्कि लिखित रूप में भी विरोध किया गया है और सदन का एकमत होकर इसका समर्थन करना कि नक्शों में सुधार किया जाये, स्थिति को सुदृढ़ करता है ।

एक प्रश्न किया गया था कि क्या वर्ष 1967 से पूर्व इसे विवाद-ग्रस्त क्षेत्र दिखाया गया था ? यह सही नहीं है । स्वतन्त्रता के बाद उन्होंने सभी नक्शों का आधार कुओमिन्तांग नक्शे माना है जिनमें चीनी रेखा को अक्षयचिन और नेफा दोनों ही क्षेत्रों में दिखाया गया है । किसी स्कूल एटलस में उन्होंने इसे टूटी हुई रेखा से दिखाया है अतः कुछ कार्टोग्राफर इसका अर्थ विवाद-ग्रस्त क्षेत्र लगाते हैं ।

मेरे विचार से थोड़ा सुधार किया जा सकता है । इन नक्शों में वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं किया गया है अतः हमारी शिकायत और आपत्ति वैध है । चाहे कानूनी स्थिति कैसी भी हो परन्तु तथ्य यह है कि नेफा की तरफ, पहले जो मैकमहोन रेखा के नाम से जानी जाती थी, उसकी सीमा तक हमारा वास्तविक हक है और इस तथ्य का चीन द्वारा भी कोई विवाद नहीं किया गया है और रूस ने जितने भी नक्शे प्रकाशित किये हैं उनमें से एक में भी इस तथ्य को नहीं दिखाया गया है ।

श्री पीलु मोदी : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि "पहले जो मैकमहोन रेखा के नाम से जानी जाती थी" इससे उनका क्या तात्पर्य है ? क्या उन्होंने इसका नाम बदल दिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह तो केवल रेखा है। जहां यह रेखा है वहां वास्तविक सीमा है।

माननीय सदस्य को ऐसी बातें कहते समय सावधान रहना चाहिये तथा सीमा के विषय में हमें शब्दों पर ध्यान न देकर वास्तविक स्थिति पर कायम रहना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने राजनैतिक कारणों के कारण कहा कि हम इसकी आपत्ति नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हम सोवियत संघ के आभारी हैं। निस्सन्देह सोवियत संघ ने हमारी सहायता की है। उन्होंने विभिन्न तरीकों से हमारे आर्थिक विकास और उद्योगों की स्थापना में हमारी सहायता की है। कुछ स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्यों को छोड़कर जनता चाहती है कि सरकारी क्षेत्र का विकास हो। मुझे ऐसे तर्कों पर आश्चर्य होता है कि हम रूस सरकार से इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री सोंधी शायद मेरे उत्तर की दिशा बदलना चाहते हैं। मैं इस समय आर्थिक तथा राजनैतिक विषयों पर दिये गये तर्कों का उत्तर दे रहा हूं। मैं इस समय जनसंघ के सदस्य का उत्तर नहीं बल्कि स्वतन्त्र सदस्य का उत्तर दे रहा हूँ जिन्होंने कहा है कि चूंकि रूस ने हमारी सहायता की है इसलिये हम रूस का कठोरता से विरोध नहीं करना चाहते हैं।

किसी सदस्य ने यह भी कहा था कि भारतीय साम्यवादी दल ने हमारा समर्थन किया था और चूंकि हम साम्यवादी दल को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिये रूस का विरोध नहीं कर रहे हैं। गत बीस वर्षों से ये नक्शे हमारे पास हैं। और उनके बारे में हमने विरोध किया है।

जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि विरोध पत्रों को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जाता है। जिन वर्षों में रूस सरकार का लिखित रूप में विरोध किया गया था। उसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। इसे राजनीतिक स्थिति से जोड़ना अथवा कल हुई हार से प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना उचित नहीं है। जहां तक हमारे नक्शों का प्रश्न है, ये नक्शे भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित किये गये हैं। यदि सोवियत संघ ने कुछ दूसरे क्षेत्रों की रेखाओं को ठीक नहीं किया तो उसका भी हम विरोध करते रहे हैं। हमारी सीमाओं की हमारे जवानों द्वारा सुरक्षा की जाती है।

इन शब्दों के साथ मैं श्री कंवरलाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का विरोध करता हूं तथा स. मो. बनर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हम मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि इस विशेष मामले पर जितना भी पत्र व्यवहार किया गया और जिस निदेश पत्र का उन्होंने उल्लेख किया है, उन्हें सभा पटल पर रखें।

श्री स्वर्ण सिंह : उन सबकी प्रतियों को सभा पटल पर रखने की प्रथा नहीं रही है।

श्री प्र. के. देव (कालाहांडी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चीन के सम्बन्ध के बारे में सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किये तथा सभा पटल पर रखे। मंत्री महोदय निदेश पत्र

या विरोध पत्र या मित्रता का पत्र सभा पटल पर क्यों नहीं रख रहे हैं ? वह हमें कारण बताये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार इसे प्रकाशित करती है तो ठीक है, मैं उन्हें ऐसा करने के लिये विवश नहीं कर सकता हूँ ।

श्री रंगा : मेरे विचार से ऐसे आवश्यक मामलों में सरकार को उचित निदेश देना अध्यक्षपीठ का विशेषाधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को उन पत्रों को प्रकाशित करने के लिये विवश नहीं कर सकता हूँ ।

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : I sought permission for asking two questions. The hon. Minister who stated that the policy of Soviet Union was against the British Government and that is why they published such maps but during the last twenty years their policy has been changed or not ? Has the hon. Minister taken any action against the showing of film which depicted India in a wrong way on the British television ? If not, the action proposed to be taken in future ?

Shri Swaran Singh : We are continuing the same policy which had been adopted some years back.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Much has been said during four hours discussion. I hoped that the hon. Minister would clarify all the points raised by me. The hon. Minister appears to be much experienced. After speaking about forty five minutes, he did not reply even to a single question.

I again charge this Government. According to my information, not even a single protect note has been sent. No doubt something in writing was sent but that was not protest note. I again demand to issue white papers and to lay all the documents regarding the correspondence on the Table of the House.

So far as the amendments are concerned, the amendment moved by Shri Shri Chand Goyal should be accepted.

If any action taken by any country is against the honour of our country, we should condemn that particular country whether it is U. S. A or U. K. Our party has as much opposed the Government of U. K. and U. S. A. as of the Government of Soviet Union. After all why all these nations do this, who is responsible for that ? The diplomacy of this Government has almost been a failure. According to a counsel of Israel, the States of Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat and Rajasthan have been shown as a single Muslim State in the map in the books which are taught in Syria. It has still not been requted. If one nation after another continues to publish maps in which India is shown in a wrong way, the responsibility for all this comes on the Government.

It has been said here that if the Government take any action against them, their friendship would break. If any concrete action to retain territorial integrity, to defend and honour the nation is taken then friendly relations would increase.

If any country whether it is U. S. A. or Soviet Union or any other country does not concede to the protest notelodged by the Government, what would they do ?

The hon. Minister has tated that our jawans have to defend the borders of our country. Therefore, we must notdepend on the maps published by other countries. Why then have they lodged protest notes ? We must ponder over it and retaliate it.

This Government are bringing down the honour of the nation by their hollow policy. No matter if this motion is not passed in this House but I am sure, when it is raised before the people of the country they would decide it.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 1 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन संख्या 2 सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव में,—

"disapproves the action of the Government is not sending protest note in writing to U. S. S. R. Government for showing large chunks of Indian territory as part of China in Russian Encyclopaedia."

[रूसी विश्वकोष में भारत के बहुत बड़े राज्य क्षेत्र को चीन का हिस्सा दिखाये जाने पर सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ सरकार को विरोध पत्र न भेजने की सरकार की कार्यवाही का निरनुमोदन करती है ।]

के स्थान पर

"in view of the Government of India's action to ban those U. S. S. R. maps which show large chunks of Indian territory as part of China, recommends to the Government ban or suitably black out all such maps published by foreign countries wherein any Indian territory has been shown as either disputed or in China or Pakistan."

[भारत सरकार की सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के उन मानचित्रों पर जिनमें भारत के बहुत बड़े राज्यक्षेत्र को चीन का हिस्सा दिखाया गया है, प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए सरकार से दूसरे देशों द्वारा प्रकाशित उन सभी मानचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने या उपयुक्त रूप से मिटाने की सिफारिश करती है जिनमें कोई भी भारतीय राज्यक्षेत्र विवादग्रस्त अथवा चीन या पाकिस्तान में दिखाया गया है ।]

रख दिया जाये ।" [संख्या 2]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को संशोधित रूप में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत सरकार की सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के उन मानचित्रों पर जिनमें भारत के बहुत बड़े राज्यक्षेत्र को चीन का हिस्सा दिखाया गया है, प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए सरकार से दूसरे देशों द्वारा प्रकाशित उन सभी मानचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उपयुक्त रूप से मिटाने की सिफारिश करती है जिनमें कोई भी भारतीय राज्यक्षेत्र विवादग्रस्त अथवा चीन या पाकिस्तान में दिखाया गया है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

संविधान (24वाँ संशोधन) विधेयक पर मतदान के बारे में
RE. VOTING ON CONSTITUTION (TWENTY FOURTH AMENDMENT) BILL

डा. राम सुभग सिंह (बक्सर) : श्रीमान्, लोकसभा के अस्तित्व में आने के बाद यह पहला अवसर है जबकि मतदान के बारे में विवाद सामने आया है। एक बार संसद सदस्य श्री मुदगल ने अपनी संसद–सदस्य की हैसियत का अनुचित लाभ उठाया था जिसके लिए इस सभा ने उन्हें सदस्यता से वंचित करने का निर्णय किया था। यह मामला बहुत गम्भीर मामला है जिसकी आप जांच कर सकते थे। हमें पता चला है कि पं. मंडल जिनकी डिविजन संख्या 50 हैं, पिछले चार पांच दिन से सभा में उपस्थित नहीं हो रहे हैं फिर भी उनका मत पक्ष में फोटो संख्या 020970 016 में मतांकन यंत्र ने दर्ज किया है। दूसरी ओर श्री आर. एस. पी. सिंह जिनकी डिवीजन संख्या 51 है, सभा में उपस्थित थे, किन्तु उनका मत अंकित नहीं किया गया और उन्होंने स्वयं बताकर अपना मत दर्ज कराया। यह एक गम्भीर मामला है और इसकी जांच की जानी चाहिए। इसकी जांच के लिए या तो संसद सदस्यों की समिति गठित की जाये अथवा आप स्वयं ही इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। तदन्तर सभा के सामने ठीक आंकड़े घोषित किये जायं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balarampur) : Sir, it is an external serious matter and it should be enquired into, otherwise people will cease to have faith in democracy. There should be no scope for doubt as regards the voting in Parliament.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हमने इसका कल भी विरोध किया था और आज पुनः करते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच कराई जाये और निष्कर्ष सभा के सामने रखे जायें। हमारी अवस्था डिग रही है।

श्री प्र. के. देव (कालाहांडी) : हमने कल भी यह शंका व्यक्त की थी कि मतांकन यंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। साथ ही हमने यह मांग भी की थी कि सभा की पक्ष और विपक्ष की दीर्घाओं में सदस्यों का मत व्यक्तिगत रूप से अंकित किया जाये। ये सब बातें कार्यवाही

वृतान्त से जानबूझ कर निकाल दी गई हैं। आप इसके लिए टेप-रिकार्ड सुन सकते हैं। टेप को घोड न किया जावे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : प्रेस में छपा यह समाचार गलत है कि मेरे दल के 18 सदस्यों ने मतदान किया है मेरे दल के सभी 19 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मत दिया है।

श्री शिवाजी राव शं. देशमुख (परभणी) : सभा में मतदान के बारे में प्रक्रियानियम और अध्यक्ष के निर्देश स्पष्ट हैं। यदि विद्युत-चालित मतांकन-यन्त्र ठीक से काम नहीं करता तो सदस्य इस बात को प्रकाश में ले आते हैं कि उनका मत अमुक पक्ष में माना जाए। और मामला समाप्त हो जाता है। एक बार जब अध्यक्ष ने मतदान के सम्बन्ध अपना निर्णय दे दिया उसके बाद क्या उस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है? मैं इस बारे में आपका स्पष्ट निर्णय चाहता हूँ। मतांकन यंत्र पहले भी फेल होता रहा है और भविष्य में भी फेल हो सकता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : There is unanimity of opinion in the house that the decision of the chair is final conceding that all the members agree that the chairs ruling should not be challanged, one thing remains that needs an enquiry, namely recording of vote in the name of a member who was not present in the house. It is necessary that a wrong impression should not be created in the minds of the people about the fairness of the proceedings of Lok Sabha.

श्री बल राज मधोक : दोहरी वोट डालना बड़ा गम्भीर मामला है और इसकी जाँच अवश्य होनी चाहिए।

Shri Manubhai Patel (Damoh) : Yesterday when I made a submission in this regard, it was not because the result was going to be affected. But every time votes were being recorded wrongly which had to be corrected and 15 to 18 votes had to be added to or substracted from one side or the other. That is why I had requested for a revision. But it was not recorded in the proceedings. I am glad that the fault I pointed out has come to fore now. An impression should not go round that democratic values are being evoded in the country. I request that what I had submitted yesterday should find a place in the proceedings.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : डा. राम सुभग सिंह ने जो कहा है वह यदि ठीक है, तो इससे प्रतीत होता है कि कुछ संसद सदस्य भ्रष्ट हैं। किसी सदस्य की अनुपस्थिति में उसके स्थान का मत बटन दबाया जाना एक भ्रष्ट व्यवहार है। [**अन्तर्बाधाएं**]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला कल भी उठाया गया था और आज फिर उठाया गया है। वस्तु स्थिति यह है कि जब मतदान चलता रहता है, उस समय अध्यक्ष पीठासीन रहता है और मत-गणना जारी रहती है। अध्यक्ष स्वयं यह काम नहीं करता, गणना करने वाले अधिकारी अध्यक्ष को परिणाम की पर्चियां देते हैं; उनके आधार पर ही अध्यक्ष घोषणा करता है।

इस सम्बन्ध में छानबीन करने पर मुझे ज्ञात हुआ है कि गत 15 वर्षों से, जब से विद्युत चालित मतांकन-यंत्र यहां लगा है, इसी यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। इस यंत्र का उपयोग

केवल उस स्थिति में नहीं किया जाता है जबकि उससे सम्बद्ध इंजीनियर उसे खराब बता देता है, बटन दबाकर मतदान करते समय सदस्य के दोनों हाथ व्यस्त रहते हैं और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका मत अंकित नहीं हो सकेगा। हां, ऐसा हो सकता है कि कोई सदस्य गलत बटन दबा दे या अपने स्थान के बजाय किसी अन्य सदस्य के स्थान से बटन दबा दे। परन्तु किसी भी दशा में एक सदस्य द्वारा एक से अधिक मत नहीं दिया जा सकता। साथ ही एक अन्य व्यवस्था उन सदस्यों के लिए भी होती है जो यह कहते हैं कि उनका मत अंकित नहीं किया जा सका है। ऐसे सदस्य मत–गणनाधिकारी के पास स्वयं जाकर अपना मत अंकित करा देते हैं। उन्हें यंत्र द्वारा अंकित परिणामों से, अपेक्षानुसार जोड दिया या घटा दिया जाता है उनके जोड़ने या घटाने का मूल परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो परिणाम की घोषणा तत्काल कर दी जाती है। यदि इन मतों से परिणाम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो घोषणा नहीं की जाती, और प्रत्येक बात की छानबीन करके उपरोक्त मतों की गणना सहित आंकड़े अगले दिन बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं। अतीत में यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही हैं।

कल हुए मतदान के सम्बन्ध में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। चूंकि बाद में सुधारे गये मतों से परिणाम पर कोई अन्तर नहीं पड़ता था, इसलिए परिणाम की घोषणा कर दी गई थी। आंकड़े बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिये गये थे। जिस समय परिणाम की घोषणा की गई थी उस समय पक्ष में 336 मत और विपक्ष में 155 मत थे। एक ओर से पांच मत और दूसरी ओर एक मत ऐसे थे जो दो बार दर्ज किये गये थे। प्रक्रिया के अनुसार, सदस्यों द्वारा सुधार किए गये मतों की गणना करने पर जब मैंने देखा कि उससे परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैंने परिणाम की घोषणा कर दी थी। जहां तक व्यक्तिगत रूप में मतदान की बात थी, उस समय यह नहीं बताया गया था कि मतांकन यंत्र खराब है।

जहां तक उस सदस्य के मतांकन का सम्बन्ध है, जो सभा में उपस्थित नहीं था, उसका मत एक खंड पर हुए मतदान में अंकित किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं जांच करूंगा कि यह कैसे हुआ। मैं पता करूंगा कि यह गल्ती थी या ऐसा जानबूझकर किया गया और ऐसा किसने किया। जहां तक डा० रामसुभग सिंह की इस मांग का सम्बन्ध है कि फोटोग्राफ पर सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ऐसा अतीत में कभी भी नहीं किया गया है। किन्तु यदि सदस्य इससे संतुष्ट हो जायें, तो मैं ऐसा भी करने को तैयार हूँ।

मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि कल के मतदान के समय परम्परा एवं प्रक्रिया को यथावत् अपनाया गया था। यदि आप इस व्यवस्था में दोष देख रहे हैं और उसे आप दूर करना चाहते हैं, तो मैं आपके सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार हूं। इस मामले का नियम समिति या किसी अन्य समिति के द्वारा जांच कराई जा सकती है।

जहां तक घोषित परिणाम का सम्बन्ध है, परिणाम की घोषणा मैंने पूर्ण सदाशयता से की थी। विधेयक विधिवत् पारित हो गया था और वह पहले ही राज्य सभा को भेजा जा चुका है।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

छठा प्रतिवेदन

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सदस्यों की रिहाई के बारे में घोषणा
ANNOUNCEMENT RE. RELEASE OF MEMBERS

(सर्वश्री सरजू पाण्डेय और राम सेवक यादव)

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्रमशः सब-डिवीजनल न्यायाधीश जोनपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी से प्राप्त दिनांक 2 सितम्बर, 1970 के बेतार संदेश और तार की सभा को सूचना देनी है जिसमें बताया गया है कि—

(1) लोक सभा के सदस्य श्री सरजू पाण्डेय को 2 सितम्बर, 1970 को जेल से रिहा किया गया है।

(2) लोक सभा के सदस्य श्री राम सेवक यादव को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन 2 सितम्बर, 1970 को न्यायालय के उठने तक के लिए सजा दी गई और यह सजा भुगतने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है।

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक
CENTRAL SALES TAX AMENDMENT (BILL)

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 15 प्रवर समित को विचारार्थ भेजने का प्रस्ताव।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जिसमें 50 सदस्य हैं"...

सदस्यों के नाम आज की कार्य-सूची में परिचालित किए गए हैं। इस सूची में परिवर्तन हैं। एक क्रम संख्या (6) पर श्री मं. चु. देसाई के स्थान पर श्री जे. जे. शिकरे के नाम का सुझाव दिया गया है। दूसरा परिवर्तन क्रम संख्या (21) पर है जिसमें श्री देवराज पाटिल के

स्थान पर श्री एस. आर धमानी का नाम रखा गया है। इन परिवर्तनों के साथ मैं प्रस्ताव पेश करता हूं जिससे सभा स्वीकार कर ले।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Why the on original list has been changed.

Shri Deo Raj Patil : why my name has been changed.

श्री विद्या चरण शुक्ल : ये नाम सचेतकों ने दिये हैं तथा मुझे मूल सूची पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। अब भी आप सभा चाहे तो उन्हें बदल सकती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या मैं प्रस्ताव करने की मूलत: परिचालित सूची को ही स्वीकार कर दिया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 30 सदस्यों, अर्थात :—

(1) श्री आर० के० अमीन
(2) श्री अर्जुन सिंह भदौरिया
(3) श्री बशेश्वर नाथ भार्गव
(4) श्री यशवन्त राव चव्हाण
(5) श्री राम धनीदास
(6) श्री सी० सी० देसाई
(7) श्री देवेन्द्र सिंह गर्चा
(8) श्री बी० के० गुडाडिन्नी
(9) श्री लखन लाल गुप्ता
(10) श्री प्रभु दयाल हिम्मतसिंहका
(11) श्री एस० कण्डप्पन
(12) श्री लताफत अली खान
(13) श्री यशवंत सिंह कुशवाह
(14) श्री महाराज सिंह
(15) श्री मीठा लाल मीना
(16) श्री श्रीनिवास मिश्र
(17) श्री एस० एन० मिश्र
(18) श्री मुम्मद इस्माइल
(19) श्री एफ० एच० मोहसिन
(20) डा. सुशीला नायर
(21) श्री देवराज एस० पाटिल
(22) श्री टी० राम
(23) श्री पी. एंटनी रेड्डी
(24) श्री द्वैपायन सेन
(25) श्री एम० आर० शर्मा
(26) श्री शिव कुमार शास्त्री
(27) श्री मुद्रिका सिन्हा
(28) श्री राम स्वरूप विद्यार्थी
(29) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्; और
(30) श्री विद्याचरण शुक्ल

की एक प्रवर समिति को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 30 सदस्यों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० के० अमीन
(2) श्री अर्जुन सिंह भदौरिया
(3) श्री बशेश्वर नाथ भार्गव
(4) श्री यशवन्त राव चव्हाण
(5) श्री राम धनी दास
(6) श्री सी० सी० देसाई
(7) श्री देवेन्द्र सिंह गर्चा
(8) श्री बी० के० गुडाडिन्नी
(9) श्री लखन लाल गुप्ता
(10) श्री प्रभु दयाल हिम्मतसिंहका
(11) श्री एस० कण्डप्पन
(12) श्री लतीफत अली खान
(13) श्री यशवन्त सिंह कुशवाह
(14) श्री महाराज सिंह
(15) श्री मीठा लाल मीना
(16) श्री श्रीनिवास मिश्र
(17) श्री एस० एन० मिश्र
(18) श्री मुम्मद इस्माइल
(19) श्री एफ० एच० मोहसिन
(20) डा. सुशीला नायर
(21) श्री देवराज एस० पाटिल
(22) श्री टी० राम
(23) श्री पी. एंटनी रेड्डी
(24) श्री द्वैपायन सेन
(25) श्री एम० आर० शर्मा
(26) श्री शिव कुमार शास्त्री
(27) श्री मुद्रिका सिन्हा
(28) श्री राम स्वरूप विद्यार्थी
(29) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्
(30) श्री विद्याचरण शुक्ल

को एक प्रवर समिति को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाय" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सत्र का बढ़ाया जाना
EXTENSION OF SESSION

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : व्यवस्था के प्रश्न यह । नियम 193 के अधीन एक तो श्री बसु के प्रस्ताव पर था दूसरे भारतीय रुई निगम के बारे में विचार होना शेष है । कार्यसूचि की अन्तिम मद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदि जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर विचार होना हैं यह विचार आज पूरा नहीं हो सकता । अत: मैं श्री मौलहू प्रसाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि सभा के इस सत्र की अवधि को एक दिन और बढ़ा दिया जाये ।

श्री प्र० क० देव : मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ

श्री समर गुह : उक्त प्रतिवेदनों पर विचार को स्थगित कर देने से तथा उक्त विषय पर चर्चा का मन्त्री द्वारा उत्तर न दिये जाने से देश भर में भ्रांति फैल सकती है । जब पहले 20 घण्टे अवधि बढ़ाई जा चुकी है तो इस विषय पर चर्चा को पूरा किया ही जाना चाहिए । अत: सभा के इस सत्र को एक दिन बढ़ा दिया जाये ।

Shri Madhu Limaye : Let it be extended.

Shri Suraj Bhan : Let the house sit for one more day so that the discussion is concluded.

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : श्रीमन्, इस बात को मैं आप पर तथा सभा पर छोड़ता हूँ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं श्री बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन् तीन मदो पर विचार होना शेष है।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या आप अब यहां बैठे रहना चाहते है ? श्री मोलहू प्रसाद का प्रस्ताव है कि या तो मंत्री महोदय आज ही जवाब दें या फिर सभा की बैठक कल के लिए और बढ़ा दी जाये।

अब मैं श्री स० मो० बनर्जी के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है ।

"कि लोक सभा की बैठक शुक्रवार 4 सितम्बर, 1970 को भी हो"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

अब, जो दो आइटम आज के बच गये है वह, और जिसके लिए आपने कल का दिन रखा है वह और अगर टाइम बचा तो जिसके लिए श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने सुबह कहा था वह, कल लिये जायेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 4 सितम्बर, 1970/13 भाद्र, 1892 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday September, 4, 1970/ Bhadra 13, 1892 (Saka)

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस जयपुर, 3